[2018] 1 एस. सी. आर 733

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण

कंपनी लिमिटेड।

वी.

एम/एस। दातार स्विचगियर लिमिटेड और ओआरएस।

(2017 की सिविल अपील सं. 10466)

18 जनवरी, 2018

[ए. के. सिकरी और अशोक भूषण, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 - धारा 34-पक्षकारों के बीच अनुबंध-मौलिक उल्लंघन के आधार पर समाप्ति-प्रत्यर्थी सं। 2 विभिन्न स्थानों पर निम्न तनाव भार प्रबंधन प्रणाली (एल. टी. एल. एम. एस.) की स्थापना के लिए अपीलार्थी द्वारा 1993-1994 में निविदा/अनुबंध प्रदान किया गया-1996 में अपीलार्थी द्वारा एक और निविदा जो 23000 नंबरों की स्थापना के लिए थी।

एल. टी. एल. एम. एस.-प्रत्यर्थी सं। 2 इस निविदा में भी भाग लिया,

जिसमें 11760 एल. टी. एल. एम. एस. की स्थापना के लिए कार्य आदेश प्रत्यर्थी सं. 2 और शेष मात्राएँ थीं

अन्य निविदाकारों को प्रदान किया गया-बड़े पैमाने पर शिकायतों और 1993-1994 निविदा के खिलाफ आपूर्ति किए गए दोषपूर्ण उपकरणों के जारी होने को देखते हुए, प्रतिवादी सं। 2 1996 की निविदा के विरुद्ध न केवल 11760 एल. टी. एल. एम. एस. की आपूर्ति करने की पेशकश की गई, बल्कि 1993-1994 के अनुबंध के विरुद्ध आपूर्ति किए गए सभी दोषपूर्ण लो टेंशन स्विच्ड कैपेसिटेटर (एल. टी. एस. सी.) को पुरानी लीज रेंटल पर नई तकनीक एल. टी. एल. एम. एस. के साथ बदलने की भी पेशकश की गई।

प्रतिवादी सं. द्वारा समाप्त किया गया। 2 - मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने प्रतिवादी नं. 2 - अपीलार्थी यू/द्वारा चुनौती दी गई धारा 34, उच्च न्यायालय द्वारा खारिज-अपील पर अभिनिर्धारित किया गया: अभिलेख पर साक्षय और दस्तावेजों की सराहना करने के बाद मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा तथ्यों के निष्कर्षों पर पहुंचा गया-इन निष्कर्षों से यह स्थापित होता है कि अपीलार्थी की ओर से उन स्थानों की सूची प्रस्तुत करने में विफल रहने में एक मौलिक उल्लंघन हुआ था जहां अनुबंध वस्तुओं को स्थापित किया जाना था, जिसमें प्रतिवादी सं। 2 - इस तरह का मौलिक उल्लंघन पूरे अनुबंध में व्याप्त था और एक बार ऐसा करने के बाद, पूरा अनुबंध निरस्त कर दिया गया-प्रतिवादी संख्या 2 हमेशा अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए तैयार और इच्छुक था, लेकिन अपीलार्थी द्वारा इस तरह के प्रदर्शन से रोक दिया गया था।

प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा अनुबंध की समाप्ति वैध और उचित थी

- वर्तमान अपील में कानून का कोई सवाल शामिल नहीं है और अपीलार्थी का एकमात्र प्रयास मामले पर नए सिरे से बहस करना था, जो कि अस्वीकार्य है-भारत का संविधान-अनुच्छेद। 136 -

अनुबंध अधिनियम, 1872-ss. 55 , 63 – अंतर्राष्ट्रीय पट्टे पर UNIDROIT कन्वेंशन-Art.13 (2)-छूट।

अभ्यास और प्रक्रिया-मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा तथ्यों के निष्कर्ष-आयोजित किए गए: मध्यस्थ न्यायाधिकरण साक्षय का मास्टर है।

अभिलेख पर साक्षय के आधार पर मध्यस्थों द्वारा प्राप्त तथ्यों के निष्कर्षों की जांच ऐसे नहीं की जानी चाहिए जैसे कि न्यायालय अपील में बैठा हो। अनुबंध-नुकसान के लिए दावा-अधिकार-आयोजित: एक बार जब यह स्थापित हो जाता है कि पार्टी को समाप्त करने में उचित था

अनुबंध के मौलिक उल्लंघन के कारण, तब उक्त निर्दोष पक्ष पूरे अनुबंध के लिए हर्जाने का दावा करने का हकदार है, यानी उस हिस्से के लिए जो निष्पादित किया गया है और अनुबंध के उस हिस्से के लिए भी जिसे उसे निष्पादित करने से रोका गया था।

अनुबंध-नुकसान का पुरस्कार-इसके लिए सिद्धांत-आयोजित: घायल पक्ष को उतनी ही अच्छी स्थिति में रखा जाना चाहिए जितना कि पैसा कर सकता था जैसे कि अनुबंध किया गया था-तत्काल मामले में, उक्त सिद्धांत को लागू करते हुए, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने लगभग उतनी ही राशि का निर्णय दिया जितना कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा परियोजना के लिए निवेश किया गया था।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़ना:

अनुबंध की समाप्ति वैध और न्यायसंगत थी:

1. मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा इस आशय के स्पष्ट निष्कर्ष निकाले गए कि जहां तक प्रत्यर्थी संख्या 2 का संबंध है

संबंधित, यह हमेशा अपने संविदात्मक दायित्वों का पालन करने के लिए तैयार और इच्छुक था, लेकिन अपीलार्थी द्वारा इस तरह के प्रदर्शन से रोका गया था। एक अन्य विशिष्ट निष्कर्ष जो मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा वापस किया गया था, वह यह था कि अपीलार्थी ने स्थानों की सूची नहीं दी थी और इसलिए, इसका यह निवेदन कि प्रतिवादी संख्या 2 के पास उपलब्ध स्थानों की पर्याप्त सूची थी, लेकिन फिर भी अनुबंध उद्देश्यों को स्थापित करने में विफल रहा, स्वीकार्य नहीं था। वास्तव में, इस मामले में मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी के कामकाज पर टिप्पणी की है।

लिमिटेड। वी. एम/एस। दातार स्विचगियर लिमिटेड।

यह निष्कर्ष निकालना कि प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा अनुबंध की समाप्ति क्रम में और वैध थी। कानून का यह प्रस्ताव कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण साक्षय का स्वामी है और तथ्य के निष्कर्ष जो अभिलेख पर साक्षय के आधार पर मध्यस्थों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, उनकी जांच नहीं की जानी चाहिए जैसे कि न्यायालय अब अपील में बैठा था, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णयों के आधार पर तय किया गया है। बिना किसी अपवाद के न्यायालय। मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निर्णय की एकल न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पुष्टि की गई है, वह भी अपीलार्थी द्वारा उठाए गए प्रत्येक तर्क पर विस्तार से विचार करने के बाद, जिसे नकार दिया गया था, प्रतिवादी नं। 2 अपने इस तर्क में सही है कि इसमें कानून का कोई सवाल नहीं है जो इसमें शामिल है और अपीलार्थी का एकमात्र प्रयास मामले पर नए सिरे से बहस करना था, जो अस्वीकार्य था। [पैरा 43,52] [766-सी-एच; 767-ए-बी; 772-सी]

नुकसान का पुरस्कार:

2.1 अपीलार्थी अब मुँह नहीं मोड़ सकता है और उन नुकसानों के अधिनिर्णय पर आपत्ति नहीं उठा सकता है जिन्हें प्रतिवादी संख्या 2 को उचित अवधि के लिए पट्टे के किराए के संदर्भ में हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए मापा गया था, जिसके लिए वह [2018] 1 एस. सी. आर. का हकदार होता।

अन्यथा। घायल पक्ष को उतनी ही अच्छी स्थिति में रखा जाना चाहिए जितना कि पैसा कर सकता है जैसे कि अनुबंध किया गया था। तत्काल मामले में, उपरोक्त सिद्धांत को लागू करते हुए, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने वर्गीकरण के उद्देश्य से, स्थापित वस्तुओं के लिए नुकसान की गणना करने के लिए पट्टे के किराए में 30 प्रतिशत की कमी, निर्मित लेकिन स्थापित नहीं की गई वस्तुओं के लिए नुकसान की गणना करने के लिए पट्टे के किराए में 50 प्रतिशत की कमी और निर्मित नहीं की गई वस्तुओं के लिए कच्चे माल की लागत की गणना करने पर विचार किया। कोई लटकता हुआ ब्याज नहीं दिया गया था, हालांकि कार्यवाही साढ़े पांच साल तक चली। इस प्रकार, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने लगभग उतनी ही राशि प्रदान की जितनी परियोजना के लिए प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा निवेश की गई थी। लगभग 21 प्रतिशत की प्रचलित बैंक दर के विपरीत, पुरस्कार की तारीख से केवल 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया गया था। उपरोक्त हर्जाना देने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा अपनाया गया एक उचित और प्रशंसनीय उपाय होने के कारण, इसके साथ हस्तक्षेप करने का कोई सवाल ही नहीं है। [पारस 54-56] [772-H; 773-B, F-H; 774-A]

भारत संघ और अन्य। वी. सुगौली शुगर वर्क्स (पी) लिमिटेड (1976) 3 एससीसी 32: [1976] 3 एस. सी. आर. 614-निर्भर। 2.2 एक बार जब यह स्थापित हो जाता है कि पार्टी को उचित ठहराया गया था

अनुबंध के मौलिक उल्लंघन के कारण अनुबंध को समाप्त करने पर, उक्त निर्दोष पक्ष पूरे अनुबंध के लिए हर्जाने का दावा करने का हकदार है, यानी उस हिस्से के लिए जो निष्पादित किया गया है और अनुबंध के उस हिस्से के लिए भी जिससे उसे रोका गया था। प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में हर्जाना दिया जाता है, उसमें कोई कमजोरी नहीं है। [पारस 58,59] [774 ई-एफ; 775-डी]

आरई: नुकसानों का कारण

3. मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने इस पहलू पर विचार किया और अभिनिर्धारित किया कि अनुबंध की वस्तुएं अपनी मर्जी से बनाई गई थीं। एकल न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अपने

उपरोक्त निष्कर्षों के लिए अपरिवर्तनीय। इसलिए, यह स्पष्ट हो जाता है कि विचाराधीन वस्तुओं का निर्माण किया गया था

प्रत्यर्थी संख्या 2 अपीलार्थी की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप क्योंकि उनका उपयोग अन्यथा नहीं किया जा सकता था। इसलिए, प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से नुकसान को कम करने के लिए इसका निपटान करने का प्रयास करने की कोई संभावना नहीं थी।

[अनुच्छेद 60,61] [775-एफ; 776-बी-सी] महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण सी लिमिटेड। वी. एम/एस। दातार स्विचगियर लिमिटेड।

वामन श्रीनिवास किनी बनाम। रतिलाल भगवानदास एंड कंपनी. [1959] सप. 2 एस. सी. आर. 217; जगद बंधु चटर्जी बनाम। श्रीमती. नीलिमा रानी और अन्य। (1969) 3 एस. सी. सी. 445; बाबूलाल बद्रीप्रसाद वर्मा बनाम। सूरत नगर निगम और अन्य। (2008) 12 एससीसी 401 [2008] 7 एससीआर 564-आयोजित

अप्रयोज्य।

द्वारका प्रसाद बनाम एम. पी. राज्य और दूसरा; ओ. एन. जी. सी बनाम। कॉमेक्स; प्रकाश खराडे बनाम। डॉ. विजय कुमार खंडरे

और अन्य; ग्रंधी बनाम। विसमस्ती; मिर्जा जावेद

मुर्तजा बनाम। यू. पी. वित्तीय निगम कानपुर और

एक अन्य; फर्म भगवानदास शोभालाल जैन, एक पंजीकृत फर्म और अन्र। वी. मध्य प्रदेश राज्य ए. आई. आर. 1966 एम. पी. 95; शिन सैटेलाइट पब्लिक कंपनी लिमिटेड बनाम। जैन स्टूडियो लिमिटेड, (2006) 2 एस. सी. सी. 628: [2006] 1 एससीआर 933; बीड

जिला केंद्रीय सहकारी समिति। बैंक लिमिटेड बनाम की स्थिति

महाराष्ट्र और ओआरएस। (2006) 8 एससीसी 514: [2006] 6 पूरक। एस. सी. आर. 895; दारुका एंड कंपनी बनाम। भारत संघ और अन्य।

(1973) 2 एससीसी 617: [1974] 1 एससीआर 570; भोजन

भारतीय निगम बनाम। युसूफ एंड कंपनी [निर्णय]

1976 के ए. एस. सं. 31 में केरल उच्च न्यायालय (डी. बी.) का दिनांक <आई. डी. 1; एसोसिएट बिल्डर्स बनाम। दिल्ली विकास

प्राधिकरण (2015) 3 एस. सी. सी. 49; जुग्गिलाल कमलापत बनाम।

प्रतापमल रामेश्वर (1978) 1 एस. सी. सी. 69: [1978] 2 एस. सी. आर. 219; एस. मुनीशमप्पा बनाम। बी. वेंकटरायप्पा

& ओआरएस। (1981) 3 एस. सी. सी. 260-संदर्भित। सुइस अटलांटिक सोसाइटी डी 'आर्मामेंट एसए वी। एनवी

रॉटरडैमशे कोलेन सेंट्रल 1966 ए. सी. 361-संदर्भित

को।

मामला कानून संदर्भ

आकाशवाणी 1966 एम. पी. 95

पैर

ा 31

संदर्भित किया गया है

[2006] 1 एससीआर 933

संदर्भित किया गया है

पैर

ा 31

[2006] 6 पूरक। एससीआर 895

संदर्भित किया गया है

पैर

ा 31

[1974] 1 एससीआर 570

संदर्भित किया गया है

पैर

ा 31

[1959] सप. (2) एससीआर 217

अप्रयोज्य रखा गया

पैर

ा 33

(1969) 3 एस. सी. सी. 445

अप्रयोज्य रखा गया

पैर

ा 33

[2008] 7 एससीआर 564

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा

33 [2018] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(2015) 3 एससीसी 49

संदर्भित किया गया है

पैरा 43

(1981) 3 एससीसी 260

संदर्भित किया गया है

पैरा 43

[1978] 2 एससीआर 219

संदर्भित किया गया है

पैरा 47

[1976] 3 एससीआर 614

उस पर भरोसा करें

पैरा 55

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 10466

2017 से।

उच्च न्यायालय के 19.10.2013 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2009 की अपील सं. 166 में बॉम्बे में न्यायिक कार्य।

विकास सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता।, चंद्र प्रकाश, प्रशांत चव्हाण, रवि

प्रकाश, सुश्री दीपिका कालिया, कपीश सेठ, वरुण अग्रवाल, सुश्री सृष्टि, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

रफीक दादा, वरिष्ठ अधिवक्ता।, मुकुल टैली, सुश्री स्वाति देशपांडे, जतिन

ज़वेरी, नील कमल मिश्रा, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. के. सिकरी, जे. 1. अपीलार्थी ने यहाँ एक अनुबंध दिया था

उत्तरदाता को। विवाद उत्पन्न हो गया था जिसके कारण एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन किया गया था (पक्षों के बीच अनुबंध में निहित मध्यस्थता समझौते को ध्यान में रखते हुए) और उन मध्यस्थता कार्यवाही की परिणति 18 जून, 2004 के मध्यस्थ निर्णय में हुई थी। एक आवेदन।

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 34 के तहत अपीलार्थी द्वारा दायर किया गया था, जिसमें पुरस्कार की शुद्धता पर सवाल उठाया गया था जिसे विद्वान एकल द्वारा खारिज कर दिया गया था।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने 18 मार्च, 2009 और 30 अप्रैल, 2009 के आदेशों के माध्यम से मध्यस्थ पुरस्कार की पुष्टि की। अंतर-न्यायालय अपील

इसके विरुद्ध, जिसे अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा 19 अक्टूबर, 2013 के फैसले के माध्यम से खारिज कर दिया गया है। यह उस निर्णय की वैधता है जो तत्काल अपील का विषय है।

2. की प्रकृति पर उपरोक्त प्रारंभिक टिप्पणियों के साथ

कार्यवाहियों में, हम कालानुक्रमिक तरीके से हुई घटनाओं की ओर रुख करते हैं, जो लीज़ को तय करने के लिए प्रासंगिक हैं:

घटनाएँ:

प्रत्यर्थी को लो की स्थापना के लिए अनुबंध दिया गया था

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विभिन्न स्थानों पर तनाव भार प्रबंधन प्रणाली (एल. टी. एल. एम. एस.)।

लिमिटेड। वी. एम/एस। दातार स्विचगियर लिमिटेड। [ए. के. सिकरी, जे.]

वर्ष 1993-1994 के दौरान अपीलार्थी। प्रतिवादी ने वर्ष 1996 में लगभग 23000 संख्या एल. टी. एल. एम. एस. की स्थापना के लिए एक अन्य निविदा में भाग लिया। अपीलार्थी ने 1996 की उपरोक्त निविदा के विरुद्ध प्रत्यर्थी को 11760 एल. टी. एल. एम. एस. की स्थापना के लिए 15 जनवरी, 1997 को एक कार्य आदेश दिया और शेष राशि अन्य निविदाकारों को प्रदान की गई। अपीलार्थी के अनुसार, प्रतिवादी द्वारा वर्ष 1993-1994 में पहले की गई स्थापना के खिलाफ, बड़े पैमाने पर शिकायतें थीं और प्रतिवादी द्वारा दोषपूर्ण उपकरणों की आपूर्ति का मुद्दा था जो प्रेस में बार-बार उठाया जा रहा था। प्रत्यर्थी द्वारा सामना की गई आलोचना को देखते हुए, प्रत्यर्थी ने स्वेच्छा से न केवल जनवरी 1997 में दिए गए आदेश के खिलाफ 11760 एल. टी. एल. एम. एस. की आपूर्ति करने की पेशकश की, बल्कि सभी को बदलने का भी बीड़ा उठाया।

नई तकनीक एल. टी. एल. एम. एस. के साथ 1993-1994 के पिछले अनुबंध के खिलाफ उनके द्वारा आपूर्ति किए गए दोषपूर्ण लो टेंशन स्विच्ड कैपेसिटेटर (एल. टी. एस. सी.) और पहले के अनुबंध के लंबित रहने के दौरान बदले गए एल. टी. एस. सी. के खिलाफ पुराने पट्टे का किराया लेते हैं। प्रत्यर्थियों द्वारा पैकेज प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए अपीलार्थी ने नए पैनलों द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने वाले 1993-1994 अनुबंध वस्तुओं के 12555 नंबरों के पैनल के संबंध में आशय पत्र जारी किया, साथ ही साथ 23672 नंबरों के नए पैनलों की अतिरिक्त मात्रा भी जारी की। अपीलार्थी ने अंततः 27 मार्च, 1997 को प्रतिवादी के साथ एक समग्र कार्य आदेश दिया:

(i) 1996 की निविदा के मुकाबले 11,760 संख्या वाले उपकरणों की आपूर्ति करें।

1997 अनुबंध। बी-I स्थान;

((ii) 1993 की तुलना में उपकरणों के प्रतिस्थापन की संख्या 12,555 है।

1994 अनुबंध-बी-II स्थान; और

((iii) 23,672 संख्या वाले उपकरण जो बी के साथ एक पैकेज थे।

द्वितीय स्थान-बी-तृतीय स्थान।

27 मार्च, 1997 के कार्य आदेश पत्र का खंड 5.1 निम्नानुसार प्रदान किया गया है:

" एल. एम. प्रणालियों की आपूर्ति और स्थापना इस कार्य आदेश या खुलने की तारीख से चार महीने के भीतर शुरू हो जाएगी।

ऋण पत्र या डी. टी. सी. के स्थानों की पूरी सूची की प्राप्ति, जो भी बाद में हो। एल. एम. प्रणाली की पूरी आपूर्ति और स्थापना अनुलग्नक-बी-I में अनुसूची के तहत शामिल है। अनुलग्नक-बी-II और अनुलग्नक-बी-III को उसके बाद बीस महीनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।

3. उक्त अनुबंध के निष्पादन के दौरान, पक्षों के बीच कुछ मुद्दे उत्पन्न हुए। उत्तरदाताओं के अनुसार, अपीलार्थी मुख्य रूप से

दो प्रकार के उल्लंघन किए, अर्थात्, अपीलार्थी ने आपूर्ति नहीं की

उस स्थान की सूची जहां अनुबंध वस्तुओं को स्थापित किया जाना था और इसके अलावा, अपीलार्थी ने उस ऋण पत्र (एल. सी.) का नवीनीकरण भी नहीं किया जिसके माध्यम से स्थापित वस्तुओं के लिए पट्टे के किराए का भुगतान किया जा रहा था। ए.

पक्षों के बीच पत्राचार की श्रृंखला का आदान-प्रदान किया गया था

उपरोक्त दो गणनाएँ क्योंकि अपीलार्थी ने कहा कि उसने उपरोक्त किसी भी पहलू के संबंध में कोई गलती नहीं की थी। प्रत्यर्थियों द्वारा स्थापित किए जाने वाले 47497 एल. टी. एल. एम. एस. की कुल संख्या के विपरीत, इसने 17294 नंबर स्थापित किए और उसके बाद 19 फरवरी, 1999 के पत्र के माध्यम से अनुबंध को समाप्त कर दिया, जिसमें अपीलार्थी की ओर से उल्लंघन का आरोप लगाया गया था, जो प्रत्यर्थी के अनुसार प्रत्यर्थी को अनुबंध समाप्त करने का हकदार था। प्रत्यर्थी ने इस शर्त पर उनके द्वारा स्थापित 17,294 अनुबंध वस्तुओं को बनाए रखने का बीड़ा उठाया कि उनके पट्टे के किराये का भुगतान अपीलार्थी द्वारा किया जाएगा। प्रत्यर्थी ने आगे दावा किया कि उन्होंने 14,206 संख्या वस्तुओं का निर्माण किया था जो स्थापित होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिनके लिए अपीलार्थी द्वारा स्थानों की सूचना नहीं दी गई थी।

4. अपीलार्थी के अनुसार, 1996 की मूल निविदा के तहत,

प्रत्यर्थी केवल 11760 अनुबंध वस्तुओं की आपूर्ति और रखरखाव का हकदार था और 12555 अनुबंध का प्रतिस्थापन एक पैकेज के रूप में था, जिसमें 23672 अनुबंध वस्तुओं की आपूर्ति थी और 1993/94 के अनुबंध वस्तुओं को बदलने में विफलता के कारण प्रत्यर्थी को 23672 की अतिरिक्त मात्रा के तहत किसी भी अनुबंध वस्तु की आपूर्ति करने के अधिकार से पूरी तरह से वंचित कर दिया गया था। अनुबंध वस्तुओं को उस अनुपात से परे पैकेज के रूप में प्रदान किया गया जिसमें बी-II स्थानों को बी-III स्थानों में दी गई अतिरिक्त मात्रा की तुलना में-ए-में बदल दिया गया था। इस प्रकार, प्रत्यर्थी द्वारा आंशिक समाप्ति अवैध और मनमाना थी क्योंकि 12,555 बी-II स्थानों के मुकाबले, प्रत्यर्थी ने केवल 2,014 उपकरण स्थापित किए थे और इस प्रकार उन्हें 10,541 बी-II स्थानों के बारे में पता था जो प्रतिस्थापन के आधार पर थे। इसलिए उनकी ओर से यह कहना गलत था कि स्थानों की सूची की आपूर्ति न होने के कारण उन्हें अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार था।

5. अपीलार्थी के अधिकारियों और प्रत्यर्थी के प्रतिनिधियों के बीच एक बैठक आयोजित की गई और इसे कार्यवृत्त में विधिवत दर्ज किया गया। 11 मार्च, 1999 की बैठक में कहा गया कि अपीलार्थी के अध्यक्ष ने प्रत्यर्थी को सूचित किया था कि मानचित्र कोल्हापुर क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध हैं और

प्रत्यर्थी से तुरंत काम शुरू करने का अनुरोध किया था। हालाँकि, प्रत्यर्थी ने कहा कि वह महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी की स्थिति में नहीं था।

लिमिटेड। वी. एम/एस। दातार स्विचगियर लिमिटेड। [ए. के. सिकरी, जे.]

तुरंत काम शुरू करें। अपीलार्थी ने 5 अप्रैल, 1999 को प्रत्यर्थी को पत्र लिखकर प्रत्यर्थी द्वारा जिस तरह से काम किया जा रहा था, उस पर अपना अत्यधिक असंतोष व्यक्त किया और प्रत्यर्थी से कार्य आदेश के नियमों और शर्तों के अनुसार कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर टिके रहने का आह्वान किया। द. प्रत्यर्थी ने 21 अप्रैल, 1999 के पत्र द्वारा अनुबंध को पूरी तरह से समाप्त कर दिया और उनके द्वारा स्थापित वस्तुओं को भी बनाए रखने से इनकार कर दिया।

6. विवाद उत्पन्न होने पर; इन विवादों पर निर्णय लेने के लिए, मध्यस्थता समझौते के संदर्भ में मध्यस्थता न्यायाधिकरण का गठन किया गया था। न्यायाधिकरण

19 फरवरी, 1999 को अपनी कार्यवाही शुरू की और 18 जून, 2004 को एक अंतिम निर्णय पारित किया जिसमें अपीलार्थी को प्रतिवादी को हर्जाने के रूप में Rs.185,97,86,399/- का भुगतान करने का निर्देश दिया गया जिसमें शामिल थे:

((i) रु। 109 स्थापित वस्तु की ओर करोड़। ((ii) रु। 71 प्रत्यर्थी द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिए जो स्थापना के लिए तैयार थीं, जिनके बारे में उन्होंने दावा किया था कि स्थानों की सूची न होने के कारण उन्हें स्थापित नहीं किया जा सका; और

((iii) रु। 6.52 प्रतिवादी द्वारा कथित रूप से शेष उपकरणों के निर्माण के लिए खरीदे गए कच्चे माल के लिए करोड़ रुपये।

7. जैसा कि ऊपर कहा गया है, मध्यस्थों के समक्ष, प्रत्यर्थियों ने मुख्य रूप से अपीलार्थी द्वारा दो चूक का तर्क दिया था। पहला, कि अपीलार्थी ने उन स्थानों की सूची प्रदान नहीं की जहां अनुबंध वस्तुओं को स्थापित किया जाना था और दूसरा, कि अपीलार्थी ने उस एल. सी. का नवीनीकरण नहीं किया जिसके माध्यम से स्थापित वस्तुओं के लिए पट्टे के किराए का भुगतान किया जा रहा था।

8. तथापि, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने एल. सी. के नवीनीकरण न किए जाने के संबंध में अपीलार्थी में कोई दोष नहीं पाया और कहा कि प्रत्यर्थी ने

21 अप्रैल, 1999 को अनुबंध को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, जबकि एल. सी. 30 अप्रैल, 1999 तक वैध था। मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा एल. सी. के नवीनीकरण न करने के संबंध में निष्कर्ष की पुष्टि विद्वान एकल न्यायाधीश (न्यायमूर्ति डी. के. देशमुख) ने की थी।

3 अगस्त, 2005 के फैसले के अनुसार जब पुरस्कार को शुरू में अलग कर दिया गया था। उक्त निष्कर्ष की पुष्टि एल. डी. ने भी की थी। बंबई उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने 22 अक्टूबर, 2008 को अपना फैसला सुनाया। हालांकि, आंशिक रूप से प्रतिवादी की अपील को स्वीकार करते हुए, 3 अगस्त, 2005 के विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को दरकिनार कर दिया गया और मामले को नए सिरे से विचार के लिए वापस भेज दिया गया। इस कार्रवाई को अपनाते हुए, डिवीजन बेंच ने 22 अक्टूबर, 2008 के अपने फैसले में निम्नलिखित टिप्पणी की:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 44. यदि न्यायालय धारा 34 के तहत एक आवेदन का निर्णय लेता है तो उसे या तो स्पष्ट रूप से या निहित रूप से कहना चाहिए कि पुरस्कार को रद्द किया जा रहा था क्योंकि यह अनुबंध की शर्तों के विपरीत था या पुरस्कार किसी भी तरह से सार्वजनिक नीति का उल्लंघन था या पुरस्कार भारत में मूल कानून के विपरीत था। , धारा 55 और 73 भारतीय अनुबंध अधिनियम या पुरस्कार को अनुबंध में साक्षय में विकृति द्वारा दूषित किया गया था या किसी दावे का निर्णय उस संबंध में किया गया है जिसके संबंध में कोई विवाद या विवाद नहीं था।

अंतर या पुरस्कार आंतरिक विरोधाभासों से दूषित हो गया था। वर्तमान निर्णय में, जिसे चुनौती दी जा रही है, हमने ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं पाया है जो स्पष्ट रूप से या निहित रूप से हो, हालांकि अभिवचनों में ऐसे मुद्दे उठाए गए थे जो विषय होना चाहिए।

1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत एक याचिका का मामला।

इसलिए, हम पाते हैं कि इस न्यायालय के लिए यह आवश्यक होगा कि वह विवादित फैसले को दरकिनार कर दे और निर्धारित मापदंडों के अनुसार मामले को नए सिरे से निर्णय के लिए वापस भेज दे।

1996 के अधिनियम की धारा 34 द्वारा।

45. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपील की अनुमति है। इस न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश द्वारा 2004 की मध्यस्थता याचिका संख्या 374 में पारित 3 अगस्त 2005 के विवादित निर्णय और आदेश को खारिज कर दिया गया है। धारा 34 द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार मामले को नए सिरे से निर्णय के लिए वापस भेज दिया गया है।

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 "।

9. रिमांड के बाद, विद्वान एकल न्यायाधीश (न्यायमूर्ति रोशन ने 18 मार्च, 2009 के आदेश द्वारा अपीलार्थी के मामले को इस आधार पर खारिज कर दिया कि अपीलार्थी द्वारा अधिनियम की धारा 34 (2) (iv) के तहत कोई मामला सामने नहीं आया था। 18 मार्च, 2009 के उपरोक्त आदेश से पता चला कि एकल न्यायाधीश को अपीलार्थी द्वारा बॉम्बे उच्च न्यायालय की पीठ के समक्ष चुनौती दी गई थी। डिवीजन बेंच ने अपील करते हुए 21 अप्रैल, 2009 को निम्नलिखित आदेश पारित किया:

" 1. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने इस न्यायालय के समक्ष यह प्रस्तुत करने की कोशिश की है कि विवादित निर्णय में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा उद्धृत कुछ तर्कों पर उनके द्वारा तर्क नहीं दिया गया था और

वे विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपने मुँह में रखे गए हैं। इन परिस्थितियों में हम याचिकाकर्ता को एल. डी. से संपर्क करने का निर्देश देना उचित समझते हैं। एकल न्यायाधीश सुधार और/या वापसी और/या

प्रस्तुतिकरण के संशोधन की मांग करता है जो उसके मुँह में रखे जाते हैं। उचित आदेश पारित होने के बाद एल. डी. एकल न्यायाधीश, प्रवेश के लिए अपील की जाए।

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी। लिमिटेड। वी. एम/एस। दातार स्विचगियर लिमिटेड। [ए. के. सिकरी, जे.]

2. इस अपील के साथ 2009 की अपील सं. 165 की सुनवाई की जाए।

3. चूंकि एल. डी. के समक्ष विवाद उठाए गए थे। एकल न्यायाधीश हैं

जैसा कि ऊपर कहा गया है और याचिकाकर्ता को एल. डी. से संपर्क करने का निर्देश दिया गया है। एकल न्यायाधीश सुधार और/या संशोधन के उद्देश्य से, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विवादित आदेश ने हमारे द्वारा विचार किए जाने के उद्देश्य से अंतिमता प्राप्त नहीं की है, हम इस स्तर पर अंतरिम राहत के लिए प्रस्ताव की सूचना (2009 की प्रस्ताव संख्या की सूचना) पर विचार करना अनुचित पाते हैं।

एल. डी. द्वारा उचित आदेश पारित किए जाने के बाद उक्त प्रस्ताव की सूचना पर विचार किया जाएगा। एकल न्यायाधीश के दृष्टिकोण पर एल. डी. याचिकाकर्ता द्वारा एकल न्यायाधीश "।

पक्षकारों के बीच अनुबंध से परे होने और सार्वजनिक नीति का विरोध करने के कारण पुरस्कार को चुनौती देते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने विचारित राय ने अधिनियम की धारा 34 (2) (iv) के तहत इसे खारिज कर दिया।

11. इसके बाद अपीलार्थी की अपील डिवीजन के समक्ष सूचीबद्ध की गई।

जिस पीठ में 2 मई, 2009 का आदेश इस शर्त पर पारित किया गया था कि अपीलकर्ता मूल राशि जमा करता है और मध्यस्थों द्वारा दिए गए ब्याज के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करता है। इस आदेश को दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी एसएलपी दाखिल करके चुनौती दी थी। इस न्यायालय ने इन एसएलपी की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के आदेश को संशोधित किया, जिसमें अपीलार्थी को Rs.65 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया।

बॉम्बे उच्च न्यायालय और रुपये की राशि में एक बैंक गारंटी प्रस्तुत करें। 200 करोड़। उच्च न्यायालय के समक्ष अपील के परिणाम के अधीन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर अपीलार्थी द्वारा Rs.65 करोड़ की राशि निकालने की अनुमति दी गई थी। 12. उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में, अपीलार्थी ने कुछ अतिरिक्त आधार उठाए। इसके बाद आखिरकार मामले की सुनवाई हुई और वीडियो

विवादित निर्णय, अपीलार्थी की अपील को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है।

उच्च न्यायालय का आदेश

13. श्री विकास सिंह द्वारा पेश की गई दलीलों को स्वीकार करने से पहले, अपीलकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील और प्रत्यर्थी की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री रफीक दादा का जवाब देने से पहले, [2018] 1 एस. सी. आर. की पंक्ति को समझने और उसकी सराहना करने के लिए खंड पीठ के विवादित फैसले की जांच करना बुद्धिमानी होगी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अधिनिर्णय जो नियुक्त एकल न्यायाधीश के आदेश को न्यायोचित ठहराने और बरकरार रखने और मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए आदेश पर अपीलार्थी की आपत्तियों को खारिज करने का आधार है। एक बहुत ही विस्तृत फैसले में, जो 150 से अधिक पृष्ठों में चलता है, उच्च न्यायालय ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की है

निम्नलिखित शीर्षों के तहत मामले की सूची:

घटनाओं का संक्षिप्त सारांश और कालक्रम।

1 .

2 .

रिमांड करें

एपेक्स के क्रम की व्याख्या पर प्रस्तुतियाँ और निष्कर्ष

3 .

एम. एस. ई. बी. द्वारा दायर एस. एल. पी. में पारित न्यायालय दिनांक 25/8/2009 ने चुनौती दी

इस न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित रिमांड का आदेश

बिलाल नाज़की, जे

4 .

2010 की प्रस्ताव की सूचना No.3227

5 .

2010 की प्रस्ताव की सूचना No.461।

6 .

उक्त अधिनियम की धारा 34 और 37 के तहत हस्तक्षेप का दायरा;

"सार्वजनिक नीति" शब्द की व्याख्या और;

अदालत उस आधार पर हस्तक्षेप करे।

7 .

एम. एस. ई. बी. द्वारा व्यापक रूप से आग्रह किए गए बिंदु (i) से (vi)

बिन्दु संख्या (i) पर प्रस्तुतियाँ और निष्कर्ष कि क्या मध्यस्थ

8 .

न्यायाधिकरण और विद्वान एकल न्यायाधीश के आने को उचित ठहराया गया था

यह निष्कर्ष कि एमएसईबी ने अनुबंध का उल्लंघन किया था

डी. टी. सी. सूचियों की आपूर्ति नहीं करके? बिन्दु संख्या पर प्रस्तुतियाँ और निष्कर्ष (ii) क्या अनुबंध

9 .

एक पूर्ण अनुबंध था और उसे विभाजित नहीं किया जा सकता था

दावेदारों द्वारा तर्क दिया गया?

10. बिन्दु संख्या (iii) पर प्रस्तुतियाँ और निष्कर्ष कि क्या दावेदारों/डी. एस. एल. ने स्थानों की पूरी सूची प्राप्त करने के अपने अधिकार को छोड़ दिया है;

और बिंदु संख्या (iv) पर कि क्या पुरस्कार जनता के विपरीत है

मध्यस्थता की धारा 34 के तहत उल्लिखित नीति और

सुलह अधिनियम, 1996?

11. (iv) क्या पुरस्कार धारा 34 के तहत उल्लिखित सार्वजनिक नीति के विपरीत है।

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996? (v) क्या नुकसान का भुगतान उचित रूप से किया गया था? और (vi) क्या पहलू

शमन पर उचित रूप से विचार किया गया था?

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी। लिमिटेड। वी. एम/एस। दातार स्विचगियर लिमिटेड। [ए. के. सिकरी, जे.]

12. एम. एस. ई. बी. द्वारा दायर चैंबर समन 13. निष्कर्ष।

14. उच्च न्यायालय ने कहा कि काम के दायरे और विवाद का सार बताने के बाद मध्यस्थता की कार्यवाही शुरू की गई।

इसके मामले के समर्थन में 26 गवाहों से पूछताछ की गई, जबकि प्रतिवादी ने इसके प्रबंध निदेशक से पूछताछ की थी जो परियोजना के प्रभारी थे। साक्षय के समापन और दलीलें सुनने के बाद, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने प्रतिवादी के दावों को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया, यह मानते हुए कि प्रतिवादी रुपये की राशि का हकदार था। 1,79,15,87,009 / - (रु. 185,97,86,399–6,81,99,390) पुरस्कार की तारीख से प्राप्ति तक देय 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ। एक करोड़ रुपये की लागत थी भी सम्मानित किया गया। अपीलार्थी के जवाबी दावों को खारिज कर दिया गया। उपरोक्त तथ्यों पर संक्षिप्त रूप से ध्यान देने के बाद, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की इस दलील पर विचार किया कि मामले को इस आधार पर विद्वान एकल न्यायाधीश को वापस भेजने की आवश्यकता है कि अपीलार्थी की इस दलील पर कि पुरस्कार सार्वजनिक नीति के खिलाफ था, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा विचार नहीं किया गया था। व्यापक चर्चा के बाद, इस तर्क को आधिकारिक रूप से खारिज कर दिया गया है। इस प्रक्रिया में, उच्च न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका में इस न्यायालय द्वारा पारित 25 अगस्त, 2009 के आदेश पर पूर्वनिर्धारित प्रस्तुतियों पर भी विचार किया, जो अपीलार्थी द्वारा दायर की गई थी, जिसके तहत उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित रिमांड के आदेश को पहले दौर में चुनौती दी गई थी। प्रस्ताव सं. की सूचना। 3227 2010 का 2010 और 2010 का 461 भी उपरोक्त मुद्दे से निपटने के दौरान चर्चा में शामिल किया गया। इसके बाद, उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 34 और 37 के तहत हस्तक्षेप के दायरे पर चर्चा की है, विशेष रूप से इस आधार पर चुनौती के आधार के संदर्भ में कि पुरस्कार "भारत की सार्वजनिक नीति" के खिलाफ है। इस महत्वपूर्ण पहलू पर कानून का उल्लेख करने के बाद, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा दिए गए तर्कों के बिंदुओं पर ध्यान दिया, जो पुरस्कार को चुनौती देने के हिस्से की पुष्टि करते हैं। अपीलार्थी द्वारा इस संबंध में जो छह बिंदु प्रस्तुत किए गए थे, वे इस प्रकार हैं:

(i) क्या मध्यस्थ न्यायाधिकरण और विद्वान एकल न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचने में उचित थे कि एमएसईबी ने

डी. टी. सी. सूचियों की आपूर्ति नहीं करके अनुबंध का उल्लंघन किया?

((ii) क्या अनुबंध एक पूर्ण अनुबंध था और वही था।

दावेदारों के तर्क के अनुसार विभाजित नहीं किया जा सकता है?

(iii) क्या दावेदारों/डी. एस. एल. ने पूर्ण प्राप्त करने के अपने अधिकार को माफ कर दिया है।

स्थानों की सूची?

((iv) क्या पुरस्कार मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत उल्लिखित सार्वजनिक नीति के विपरीत है?

(v) क्या नुकसान का भुगतान उचित रूप से किया गया था?
((vi) क्या शमन के पहलू पर उचित रूप से विचार किया गया था?

15. इसके बाद, उपरोक्त प्रत्येक मुद्दे पर एक-एक करके चर्चा हुई। पहले बिंदु पर, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला है कि

मध्यस्थ न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचने में उचित था कि अपीलार्थी ने डीटीसी सूची की आपूर्ति नहीं करके अनुबंध का उल्लंघन किया था। इस प्रकार निष्कर्ष निकालते हुए, उच्च न्यायालय ने इस संबंध में हुई घटनाओं पर गौर किया, जिसमें साक्षय के साथ-साथ मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा इस मुद्दे को उठाने के तरीके का भी उल्लेख किया गया। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा दावे में उठाई गई प्रतिद्वंद्वी दलीलों को ध्यान में रखते हुए और इस पहलू पर लिखित बयान में जो निष्कर्ष दिया गया था, वह तथ्य का निष्कर्ष है जो अभिलेख पर सामग्री की जांच के बाद दिया गया था। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि इस निष्कर्ष को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा भी बरकरार रखा गया था और जिस तरह से विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस मुद्दे से निपटा था, उस पर ध्यान दिया गया है। यह तथ्य का निष्कर्ष होने के कारण, उच्च न्यायालय के अनुसार मध्यस्थ न्यायाधिकरण या विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए विचारों के स्थान पर अपने स्वयं के दृष्टिकोण को रखना और अलग-अलग निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं था, भले ही दो विचार संभव हों। इसके बावजूद, डिवीजन बेंच ने पक्षों के बीच किए गए अनुबंध के विभिन्न खंडों को देखने के बाद गुण-दोष के आधार पर इस मुद्दे की फिर से जांच की। खंड 5 और 5 का विशेष ध्यान रखते हुए, खंड पीठ ने मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निष्कर्षों की निम्नलिखित तरीके से पुष्टि की है:

" 46. खंड 5 भी प्रासंगिक है क्योंकि यह डीएसएल द्वारा स्थापना/प्रतिस्थापन कार्य को करने के तरीके के बारे में निर्धारित करता है। यह काम तीन क्षेत्रों में पूरा किया जाना था। , कोल्हापुर क्षेत्र, नासिक क्षेत्र और औरंगाबाद क्षेत्र। खंड 5 में क्षेत्रों के अनुक्रम का उल्लेख किया गया था जिसमें कार्य करना था

किया जाना चाहिए और यह निम्नानुसार था:

(क) कोल्हापुर क्षेत्र (ख) नासिक क्षेत्र। काम पूरा होने पर शुरू किया जाएगा काम

कोल्हापुर क्षेत्र।

【 ARASHTRA STATE ELECTRICITY DISTRIBUTIN CO.डी. वी. एम/एस। दातार स्विचगियर लिमिटेड। [ए. के. सिकरी, जे.]

औरंगाबाद क्षेत्र। काम पूरा होने पर शुरू होगा काम

नासिक क्षेत्र।

इसलिए क्रम यह था कि पहले कोल्हापुर क्षेत्र बी-I, बी-II, बी-III में वस्तुओं को स्थापित किया जाना था और उसके बाद नासिक में। फिर से बी-I, बी-II, बी-III वस्तुओं को स्थापित किया जाना था और अंत में औरंगाबाद में बी-I, बी-II और बी-III वस्तुओं को स्थापित किया जाना था। हालाँकि, काम पूरा करने की उक्त अनुसूची को बदल दिया गया था।

समय-समय पर और अंत में, फिर से, दिसंबर, 1998 में एमएसईबी

डीएसएल को खंड 5.2 के अनुसार अनुसूची का पालन करने के लिए सूचित किया।

47. खंड 5.3 उस आपूर्ति को निर्धारित करता है, स्थल पर निर्माण और

अनुबंध के उद्देश्यों को एक निर्धारित समय के भीतर पूरा किया जाना था। इसने यह भी स्पष्ट किया कि समय अनुबंध का सार है और यदि किसी भी कारण से प्रदर्शन में देरी होती है तो एमएसईबी परिसमापन हर्जाने का दावा करने का हकदार होगा। द.

घटनाओं का कालक्रम इंगित करता है कि 14/7/1997 पर, इसके अनुसार MSEB

पत्र में डीएसएल को सूचित किया गया कि डीटीसी स्थानों की सूची तैयार है

सर्कल कार्यालयों और डी. एस. एल. को वही एकत्र करना चाहिए। डी. एस. एल. का मामला संक्षेप में यह है कि हालांकि एम. एस. ई. बी. द्वारा यह दर्शाया गया था कि सूची तैयार थी और 14/7/1997 पर उपलब्ध थी, सूची की आपूर्ति नहीं की गई थी और इसके परिणामस्वरूप, स्थापना नहीं की जा सकी और

डी. एस. एल. द्वारा एम. एस. ई. बी. को 120 पत्र लिखने पड़े।

उनसे सूचियों की आपूर्ति करने का अनुरोध करें। दूसरा, काम पूरा करने का क्रम भी समय-समय पर बदला जाता था और

अचानक 21/12/1998 सर्कल इंजीनियर ने डीएसएल को सूचित किया कि

कार्य आदेश के खंड 5.2 के अनुसार अनुक्रम का पालन किया जाना था और, डी. एस. एल. को इसलिए एक पत्र भेजने के लिए विवश किया गया था

समाप्ति तिथि 19/02/1999 और उसके बाद भी एक बैठक में जो अध्यक्ष के बीच 11/3/1999 पर आयोजित किया गया था

एम. एस. ई. बी., डी. एस. एल. और अन्य दो पक्ष जिन्हें सम्मानित किया गया था

अनुबंध, जैसा कि बैठक के कार्यवृत्त के खंड 17 में उल्लेख किया गया है, अध्यक्ष ने डीएसएल को सूचित किया कि सूची आसानी से उपलब्ध थी

श्री दातार ने कोल्हापुर क्षेत्र में बी-II और बी-III अनुसूची के तहत काम तुरंत शुरू करने के लिए कहा और अध्यक्ष ने निर्देश दिया

कि सी. ई. बैठक में उपस्थित थे कि यह बोर्ड का था

एजेंसियों को मानचित्रों के साथ सूची देने की जिम्मेदारी और उस संबंध में तेजी से कदम उठाए जाने चाहिए। इसलिए यह तर्क दिया गया कि अध्यक्ष ने स्वयं स्वीकार किया था कि सूची डीएसएल को उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

संदर्भ में, कुछ अक्षर कार्य के अनुक्रम में परिवर्तन के संबंध में महत्व रखते हैं। 27/3/1997 दिनांकित कार्य आदेश से पता चलता है कि

शुरू में यह काम कोल्हापुर क्षेत्र में, फिर नासिक क्षेत्र में और अंत में औरंगाबाद क्षेत्र में किया जाना था। इसके बाद, मुख्य अभियंता, एम. एस. ई. बी. ने अपने दिनांकित 4/11/1997 के पत्र द्वारा अनुक्रम को बदल दिया और

निर्देश दिया कि बी-I, बी-II, बी-III सूचियों के संबंध में नासिक क्षेत्र में शुरू में काम पूरा किया जाए, फिर कोल्हापुर क्षेत्र में और

अंत में औरंगाबाद क्षेत्र में। इस अनुक्रम को मुख्य अभियंता के दिनांकित 25/5/1998 पत्र द्वारा फिर से संशोधित किया गया था और अनुसूची के अनुक्रम में संशोधन किया गया था और क्षेत्र का अनुक्रम जारी रहा और किसी भी क्षेत्र में किसी भी स्तर पर काम पूरा किया जा सकता था।

फिर से, तीसरा संशोधन मुख्य अभियंता के दिनांकित पत्र 17/6/1998 द्वारा किया गया था और क्षेत्रों के संबंध में संशोधन किया गया था और किसी भी क्रम में किसी भी क्षेत्र में काम किया जा सकता था।

फिर मुख्य अभियंता के दिनांकित 21/12/1998 पत्र द्वारा चौथा संशोधन किया गया और मूल कार्य आदेश अनुक्रम का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया। डी. एस. एल. के अनुसार, क्योंकि अनुबंधित वस्तुओं/उपकरणों की स्थापना के लिए तैयार होने के बावजूद सूचियों की आपूर्ति नहीं की गई थी और हालांकि उन्हें संबंधित क्षेत्रों में साइटों पर ले जाया गया था, उन्हें स्थापित नहीं किया जा सका और वे फंसे हुए थे जिससे वित्तीय नुकसान हो रहा था।

परिवहन, शारीरिक श्रम आदि और अनुबंध की गैर-स्थापना

उद्देश्यों के परिणामस्वरूप डीएसएल को पट्टे के किराए का लाभ नहीं मिला।"

न्यायाधिकरण के समक्ष या विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष भी, अर्थात। , डी. टी. सी. स्थानों की गैर-आपूर्ति अनुबंध की मौलिक अवधि का उल्लंघन नहीं थी जिसके कारण अनुबंध की समाप्ति हुई उत्तरदाता। हम इस स्तर पर चर्चा के इस भाग को भी पुनः प्रस्तुत करना चाहेंगे:

" 48. यहाँ यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष और इस न्यायालय के समक्ष, कुछ बिंदु जो कभी नहीं थे

न्यायाधिकरण के समक्ष आग्रह करने की मांग की गई थी। हमारे समक्ष प्रस्तुत की गई लिखित दलीलों में और हमारे समक्ष जो आग्रह किया गया था, वह यह था कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने

डी. टी. सी. स्थानों की गैर-आपूर्ति को अनुबंध की मौलिक अवधि का उल्लंघन मानते हुए गंभीर त्रुटि की है। जिसके कारण उत्तरदाताओं/दावेदारों द्वारा अनुबंध समाप्त कर दिया गया।

[ARASTRA STATE ELECTRICITY DISTRIBUTIN CO.डी. वी. एम/एस। दातार स्विचगियर लिमिटेड। [ए. के. सिकरी, जे.]

हमारे समक्ष यह तर्क दिया गया है कि चूंकि प्रत्येक अनुबंध उद्देश्य एक अलग पट्टा अनुबंध था, इसलिए मध्यस्थ का पुरस्कार होना चाहिए

तीन भागों में माना जाता है (i) अनइंस्टॉल किए गए ऑब्जेक्ट, (ii) इंस्टॉल किए गए ऑब्जेक्ट

वस्तुएँ और (iii) वस्तुओं के संबंध में नुकसान जो समान नहीं हैं।

निर्मित और यहाँ यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि न्यायाधिकरण ने तैयार किया है

नीचे दिए गए बिंदुओं में से एक:

(क) क्या दावेदार अनुबंध के अपने हिस्से का पालन करने के लिए तैयार और इच्छुक थे और यदि हां, तो क्या उत्तरदाताओं ने दावेदारों को ऐसा करने से रोका? इस बिंदु का उत्तर देते समय इस बिंदु पर दो भागों में चर्चा की गई थी। पहला, क्या दावेदार अनुबंध के अपने हिस्से का पालन करने के लिए तैयार और इच्छुक थे और दूसरा, क्या उत्तरदाता

दावेदारों को ऐसा करने से रोक दिया है। इस संदर्भ में,

यह अभिनिर्धारित करने के बाद कि दावेदार तैयार और इच्छुक थे

अनुबंध के अपने हिस्से का प्रदर्शन करते हुए, दूसरे बिंदु पर विचार करते हुए, न्यायाधिकरण ने इस प्रश्न पर विचार किया था

डी. टी. सी. सूचियों की आपूर्ति और क्या यह एक मौलिक शब्द था

अनुबंध। यह मानने के बाद कि एमएसईबी ने डीएसएल को रोक दिया था अनुबंध के अपने हिस्से का प्रदर्शन करने से भले ही वे तैयार थे और ऐसा करने के लिए तैयार थे, फिर भी हर्जाने के सवाल पर अलग से विचार किया गया है और उस बिंदु पर न्यायाधिकरण ने

नुकसान की गणना की एक विशेष विधि अपनाई गई। हमारे देश में

देखें, एम. एस. ई. बी. के लिए अब उन्हें बदलने की अनुमति नहीं है

इस तरह से प्रस्तुतियाँ। हालाँकि, भले ही एम. एस. ई. बी. द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत की गई प्रस्तुतियों को ध्यान में रखा जाए,

वे गुणों से रहित हैं।

17. इसके बाद, उच्च न्यायालय ने एक और तर्क पर ध्यान दिया

इसमें, अर्थात्, अनुबंध द्वारा समाप्त किया गया था

ऋण पत्र के नवीनीकरण न होने के कारण नुकसान डेंट का 19 फरवरी, 1999 का पत्र। हालांकि, उच्च न्यायालय ने

उक्त तर्क को वैध के रूप में स्वीकार करें और उसे खारिज कर दें।

इसके बाद, उच्च न्यायालय ने बिंदु पर अपने विशिष्ट निष्कर्ष दर्ज किए हैं

और हम इसके प्रासंगिक हिस्से को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत करते हैं:

" अभिलेख पर सामग्री से हमारे विचार में, यह बहुत स्पष्ट है

डी. टी. सी. सूचियों की आपूर्ति कार्य का एक मौलिक शब्द था।

आदेश और एम. एस. ई. बी. इसका पालन करने में बुरी तरह विफल रहे थे कहा मौलिक शब्द और डीटीसी स्थानों की आपूर्ति में एमएसईबी की ओर से एक उल्लंघन था जो अंततः [2018] 1 एस. सी. आर.

डी. एस. एल. को अनुबंध वस्तुओं की स्थापना से रोका। यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एमएसईबी द्वारा कार्य आदेश जारी किए जाने के बाद, डीएसएल को अनुबंध वस्तुओं की स्थापना की प्रक्रिया को पूरा करने के उद्देश्य से आवश्यक व्यवस्था करनी पड़ी। इसमें विदेश से कच्चे माल की खरीद, उपकरणों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करना, इन अनुबंध वस्तुओं को उन स्थानों तक ले जाने की व्यवस्था करना जहां उक्त उपकरणों को स्थापित किया जाना था, प्रशिक्षित, कुशल और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करना, इन अनुबंध वस्तुओं को डीटीसी स्थान तक ले जाने के लिए वाहन उपलब्ध कराना जहां उन्हें स्थापित किया जाना था और अंत में, एमएसईबी के अधिकारियों के साथ समन्वय करना ताकि अनुबंध वस्तुओं को स्थापित करने के बाद, एमएसईबी के अधिकारियों द्वारा स्थापना का प्रमाण पत्र दिया जा सके ताकि उस समय से, पट्टे का किराया डीएसएल को देय हो सके। यह ध्यान में रखना होगा कि कार्य आदेश की प्रकृति ऐसी थी कि यह सुनिश्चित करना डीएसएल के हित में था कि अनुबंध वस्तुओं को स्थापित किया जाए और उस प्रभाव के प्रमाण पत्र एमएसईबी के अधिकारियों से प्राप्त किए जाएं। यह तर्कहीन लगता है कि लगभग 163 करोड़ रुपये की भारी राशि का निवेश करने के बाद, जैसा कि न्यायाधिकरण ने पुरस्कार में कहा था, डीएसएल वस्तुओं को स्थापित नहीं करेगा क्योंकि वस्तुओं को स्थापित करना उनके हित में था ताकि उनके भारी निवेश पर लाभ उसके बाद शुरू हो। इसलिए यह अकल्पनीय है कि हालांकि डीटीसी सूचियां थीं

डीएसएल को स्थानों के बारे में पता था और फिर भी वे अनुबंध वस्तुओं को बिना किसी पदार्थ के स्थापित करने में विफल रहे थे। यह नहीं हो सकता। यह भूल गए कि शुरुआत में स्थापना का क्रम कोल्हापुर, नासिक और औरंगाबाद था। इस क्रम को बाद में नासिक, कोल्हापुर और औरंगाबाद में बदल दिया गया। इसे फिर से बदल दिया गया और डीएसएल को किसी भी समय किसी भी स्थान पर वस्तुओं को स्थापित करने की अनुमति दी गई और अंत में, इसे फिर से बदल दिया गया और डीएसएल को कार्य आदेश के अनुसार अनुक्रम का पालन करने का निर्देश दिया गया। यह स्थिति होने के कारण, यह मानते हुए भी कि बी-II सूचियां उपलब्ध थीं, डीएसएल इन अनुबंध वस्तुओं को स्थापित नहीं कर सकता था क्योंकि उन्हें दिनांकित पत्र 21/12/1998 द्वारा फिर से अनुसूची का पालन करने के लिए कहा गया था और इसलिए, भले ही सूचियां उपलब्ध हों, डीएसएल के लिए उन सभी को एक साथ स्थापित करना संभव नहीं था।

क्योंकि उन्हें महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी में अनुक्रम का पालन करने के लिए कहा गया था।

लिमिटेड। वी. एम/एस। दातार स्विचगियर लिमिटेड। [ए. के. सिकरी, जे.]

कार्य आदेश यदि बी-I के तहत स्थानों की सूची नहीं दी गई थी, यह मानते हुए भी कि उनके पास उन स्थानों की बी-II सूची थी जो उनके पास नहीं हो सकती थी और उन्हें वास्तव में उक्त बी-II स्थानों पर स्थापित करने की अनुमति नहीं थी। यह रिकॉर्ड में आया है कि 10,000 से अधिक वस्तुओं का निर्माण किया गया था और स्थापना के लिए तैयार किया गया था। डी. एस. एल. उन वस्तुओं को स्थापित करने में विफल रहने का कोई सांसारिक कारण नहीं है जिनका निरीक्षण किया गया था और जो स्थापना के लिए तैयार हैं। एकमात्र स्पष्ट कारण यह होगा कि वे एमएसईबी द्वारा समय-समय पर पारित किए गए विभिन्न आदेशों के कारण ऐसा करने में असमर्थ थे

उन्हें अपने दायित्व का पालन करने से रोकें। एम. एस. ई. बी. ने सूची की आपूर्ति के प्रभारी अपने किसी भी अधीक्षण अभियंता की जांच नहीं की है। सभी का संचयी प्रभाव

जो सामग्री अभिलेख पर लाई गई है वह यह है कि यह डी. टी. सी. स्थानों की सूचियों की आपूर्ति में एम. एस. ई. बी. की विफलता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है जो अनुबंध का एक मौलिक शब्द था।

18. बिन्दु नं. पर आते हैं। 2 , उच्च न्यायालय ने नोट किया कि इस बिंदु का आग्रह न्यायाधिकरण या विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष नहीं किया गया था, अर्थात्,

जिन प्रावधानों के आलोक में इस बिंदु की जांच की जानी थी, वे अनुबंध अधिनियम की धारा 39,53,55 और 63 थे। उच्च न्यायालय ने पाया कि जब अपीलार्थी के मुख्य अभियंता ने दिनांकित एक पत्र लिखा था 21 दिसंबर, 1998 को प्रत्यर्थी को सूचित किया गया कि कार्य आदेश में दी गई मूल अनुसूची के अनुसार कार्य किया जाना है। , कोल्हापुर, नासिक और औरंगाबाद को स्थापित नहीं करने का निर्देश दिया गया था

बी-III स्थानों पर, केवल उस स्तर पर अपीलार्थी ने अपने वादे के हिस्से को पूरा करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद ही प्रतिवादी द्वारा 19 फरवरी, 1999 को नोटिस दिया गया और अंत में 21 अप्रैल, 1999 को अनुबंध समाप्त कर दिया गया। इसलिए, प्रत्यर्थी की ओर से सहमति के अधिकार की कोई छूट नहीं थी और इस प्रकार, अपीलार्थी के तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता था कि प्रत्यर्थी ने अनुबंध को समाप्त करने के अपने अधिकार को माफ कर दिया था। उच्च न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि छूट या स्वीकृति का प्रश्न तथ्य का प्रश्न है और चूंकि मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा तथ्य का निष्कर्ष निकाला गया था (जिसे एकल न्यायाधीश द्वारा भी बरकरार रखा गया था)

कि प्रत्यर्थी की ओर से कोई छूट या सहमति नहीं थी, इस तरह का तर्क अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील में अपीलार्थी के लिए भी उपलब्ध नहीं था। इस आधार पर, खंड पीठ ने अपीलार्थी के इस तर्क को खारिज कर दिया कि प्रतिवादी ने स्थानों की पूरी सूची प्राप्त करने के अपने अधिकार को समाप्त कर दिया है। इस प्रक्रिया में, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के इस तर्क को भी खारिज कर दिया है कि डी. टी. सी. स्थानों की सूची प्राप्त करने के अधिकार की छूट के परिणामस्वरूप, प्रतिवादी के लिए उपलब्ध एकमात्र विकल्प अपीलार्थी को नोटिस देना था कि वह सहमत समय के अलावा वादे के निष्पादन को स्वीकार कर रहा था या कि प्रतिवादी किसी भी मुआवजे का हकदार था।

20. प्वाइंट नं. पर उपरोक्त निष्कर्षों के साथ। 3 , उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के इस तर्क को खारिज कर दिया कि हर्जाने का अधिनिर्णय सार्वजनिक नीति के खिलाफ था।

21. इसके बाद, उच्च न्यायालय ने मात्रा के प्रश्न पर चर्चा की

बिन्दु सं. 5 में उठाए गए नुकसान का। यह इस ओर से मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा की गई कवायद से गुजरा, यानी जिस तरीके से न्यायाधिकरण द्वारा नुकसान की गणना की जाती है। इसने पाया कि न्यायाधिकरण ने 17294 अनुबंध के लिए सात साल की अवधि के लिए पट्टे के किराए के संबंध में प्रतिवादी को देय नुकसान का निर्धारण करने की सराहना की थी वस्तुएँ जो स्थापित की गई थीं और रु। 108,02,53,173 / - इस ओर से आया था। 14206 फँसी हुई वस्तुओं के संबंध में, न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि नुकसान जो उपरोक्त के कारण देय थे

फंसी हुई वस्तुएँ रुपये की थीं। 14,28,55,536 / - रुपये की दर से एक वर्ष की अवधि के लिए। 10,056 / - प्रत्येक अनुबंध उद्देश्य के लिए प्रति वर्ष और पांच साल की अवधि के लिए रु। 71,42,77,680 / - . जहाँ तक उन वस्तुओं के संबंध में जिनका निर्माण नहीं किया गया था, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने अप्रयुक्त आयातित कच्चे माल के मूल्य को ध्यान में रखा। उस आधार पर यह निष्कर्ष निकला कि 16487 अनुबंध वस्तुओं के लिए अप्रयुक्त रखे गए आयातित कच्चे माल के संबंध में नुकसान रु। 6,52,55,546 / - . इसमें

इस तरह, यह रु. के कुल आंकड़े पर पहुंचा। 185,97,86,399 / - और रुपये की राशि काट ली। 6,81,99,390 / - जो अपीलार्थी द्वारा न्यायाधिकरण द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के अनुसरण में प्रत्यर्थी को भुगतान किया गया था। 22. जिस तरह से न्यायाधिकरण ने हर्जाने का फैसला सुनाया, उस पर ध्यान देने के बाद उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की चुनौती पर ध्यान दिया।

हर्जाने के पुरस्कार के लिए परामर्श, जो निम्नानुसार थे:

(i) चूंकि अपीलार्थी द्वारा कोई उल्लंघन नहीं किया गया था और प्रत्यर्थी को अनुबंध को समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं था, इसलिए कोई नुकसान देय नहीं था।

[ARASHTRA STATE ELECTRICITY DISTRIBUTIN CO.डी. वी. एम/एस। दातार स्विचगियर लिमिटेड। [ए. के. सिकरी, जे.]

((ii) चूंकि अनुबंध वस्तु की लागत औसतन रु। 9,000 / - प्रति उद्देश्य, प्रतिवादी, सबसे अच्छा, उक्त लागत पर 10-15% के नाममात्र लाभ का हकदार था। इसलिए,

मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने अत्यधिक हर्जाना दिया था।

(iii) नुकसान गलत तरीके से उन वस्तुओं के लिए दिया गया था जो समान नहीं थीं।

निर्मित और इस तरह का पुरस्कार जनता का उल्लंघन था

अधिनियम की धारा 34 में उल्लिखित नीति।

(iv) अपीलार्थी की समझ के अनुसार, अनुबंध 19 मार्च, 1999 को समाप्त हो रहा था और इसलिए अनुबंध के उद्देश्यों को उसके द्वारा निर्मित किया जाना चाहिए था। इस प्रकार, उसी के निर्माण में विफलता उन्हें निर्मित नहीं की गई वस्तुओं के लिए किसी भी नुकसान का दावा करने का अधिकार नहीं देती थी।

(v) चूंकि अनुबंध नया किया गया था, इसलिए प्रतिवादी बाध्य था

वस्तुओं का निर्माण करने के लिए और जब सूचियों की आपूर्ति की गई थी और इसलिए, किसी भी मुआवजे के भुगतान का सवाल जो निर्मित नहीं की गई थी

उठें।

(vi) स्थापित या अनइंस्टॉल किए जाने का कोई डिफ़ॉल्ट तरीका नहीं था।

उद्देश्य और इस आधार पर भी न्यायाधिकरण को कोई भी मुआवजा देना उचित नहीं था।

(vii) स्थापित वस्तुओं के संबंध में, एकमात्र उल्लंघन क्रेडिट पत्र का नवीनीकरण न करना था। इसी तरह, के संबंध में

गैर-स्थापित वस्तुओं, एकमात्र उल्लंघन स्थानों की सूचियों को प्रस्तुत नहीं करना था। जहां तक ऋण पत्र के नवीनीकरण न होने का संबंध है, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने इस मुद्दे पर अपीलार्थी के पक्ष में निर्णय लिया था और इसलिए कोई नुकसान नहीं हुआ था। पुरस्कार योग्य। अनइंस्टॉल की गई वस्तुओं के संबंध में, प्रतिवादी के पास स्थान की 16473 सूचियाँ थीं और वे 2500 बफर स्टॉक बनाए रखने के लिए बाध्य थे। हालांकि, प्रतिवादी ने

केवल 14206 वस्तुओं का निर्माण किया गया था, इसलिए, अनइंस्टॉल की गई वस्तुओं के लिए किसी भी नुकसान के भुगतान का कोई सवाल ही नहीं था।

23. चूँकि यह मुद्दा बिंदु संख्या 6, अर्थात शमन लक्षयों से जुड़ा था, इसलिए उच्च न्यायालय ने शमन के तर्क पर विचार किया क्योंकि यहाँ, अपीलार्थी का तर्क था कि उल्लंघन, यदि बिल्कुल भी हो, तो केवल 21

दिसंबर, 1998 को बी-III में एक साथ स्थापना की अनुमति वापस ले ली गई थी।› इसके बाद उल्लंघन को ठीक करने के लिए जो भी कदम उठाए गए [2018] 1 एस. सी. आर.

उत्तरदाता। इससे पता चलता है कि उत्तरदाताओं ने अपने नुकसान की कोशिश नहीं की थी और वे हर्जाना प्राप्त करने के हकदार नहीं थे। यहाँ प्रत्यर्थी का टी भी नोट किया गया था और वी दलीलों पर विचार करने के बाद, उच्च न्यायालय को इसमें कोई सार नहीं मिला है

अपीलार्थी के बारे में। इसने कार्रवाई को अपनाने के लिए निम्नलिखित कारण दिए हैं:

73. हम निम्नलिखित कारणों से डीएसएल की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा की गई प्रस्तुतियों से सहमत हैं:

सबसे पहले, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने अपने निर्णय में इस तथ्य का निष्कर्ष दर्ज किया है कि एमएसईबी ने डीटीसी स्थानों की सूचियों की आपूर्ति नहीं करके अनुबंध का उल्लंघन किया था और यह उल्लंघन समझौते का एक मौलिक उल्लंघन था।

दूसरा, यह माना जाता है कि एमएसईबी ने डीएसएल को रोक दिया था

अनुबंध के अपने हिस्से का पालन करते हुए और इसलिए, वे हर्जाना प्राप्त करने के हकदार थे। मध्यस्थ न्यायाधिकरण, इसके बाद, भारत संघ बनाम/एस में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करता है। सुगौली शुगर (प्रा.) लिमिटेड [(1976) 3 एस. सी. सी. 32] ने देखा है उस निर्दोष पक्ष ने जो प्राप्त करने के लिए अनुबंध किया था, उसकी आपूर्ति करने के लिए अनुबंध का उल्लंघन साबित कर दिया है, ऐसे पक्ष को उतनी ही अच्छी स्थिति में रखा जाना चाहिए जैसे कि अनुबंध किया गया था

जिन नुकसानों का दावा करने वाले/डी. एस. एल. के हकदार थे, उनका निष्पादन किया गया और इसलिए उक्त सिद्धांत पर उनका निर्धारण किया जाना चाहिए। न्यायाधिकरण ने तब अभिनिर्धारित किया है कि पट्टा किराया नुकसान का पता लगाने के उपायों में से एक है और उस संदर्भ में, कार्य आदेश पर भरोसा करने के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि दावेदारों का हक अनुबंध वस्तुओं की स्थापना की तारीख से उपार्जित पट्टा किराया प्राप्त करना था। इस संदर्भ में, इसलिए, सुविधा के लिए मात्रा का प्रश्न

क्षति पर विचार (ए) अनुबंध वस्तुओं की स्थापना, (बी) फंसी हुई वस्तुओं और (सी) निर्मित नहीं वस्तुओं के संदर्भ में किया गया था। एम. एस. ई. बी. की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील का निवेदन कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने किया था

अनुबंध को तीन भागों में विभाजित करें, हालांकि अनुबंध एक ही अनुबंध था, बिना किसी सार के है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण सबसे पहले इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि डीटीसी स्थानों की सूचियों की आपूर्ति में एमएसईबी की ओर से उल्लंघन किया गया था। यह अभिनिर्धारित करते हुए कि उल्लंघन हुआ था और दावेदार/डीएसएल मुआवजे का दावा करने के हकदार थे, मुआवजे की राशि का निर्धारण करते हुए, राष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी के लिए।

वी. एम/एस। दातार स्विचगियर लिमिटेड। [ए. के. सिकरी, जे.]

उपरोक्त तरीके से नुकसान। इसलिए, एम. एस. ई. बी. के तर्क का पूरा जोर गलत है। एम. एस. ई. बी. ने यह तर्क देते हुए अपनी कहानी को मोड़ देने की कोशिश की है कि 17,294 अनुबंध वस्तुओं को स्थापित किया जा रहा है, स्थापित वस्तुओं के लिए हर्जाना देने का कोई सवाल ही नहीं था और दूसरा, चूंकि ऋण पत्र की समाप्ति को अवैध नहीं माना गया था, इसलिए इसे लागू नहीं किया गया था। मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने अनइंस्टॉल की गई वस्तुओं और उन वस्तुओं के लिए हर्जाना देने का आदेश दिया है जो निर्मित नहीं की गई थीं। यह निवेदन पूरी तरह से गलत है, सबसे पहले क्योंकि यह लगातार माना गया है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण अकेले नुकसान की गणना के तरीके को तय करने में सक्षम है जो न्यायाधिकरण द्वारा अपनाया जाना है। वर्तमान मामले में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया है कि पट्टा किराया नुकसान का पता लगाने के उपायों में से एक है। मैकडरमोट बनाम में सर्वोच्च न्यायालय। बर्न स्टैंडर्ड [(2006) 11

एस. सी. सी. 181] ने निम्नानुसार अवलोकन किया हैः

" 106. हम इस मामले में गहराई से जाने का इरादा नहीं रखते हैं क्योंकि यह एक स्वीकृत स्थिति है कि विभिन्न सूत्रों को लागू किया जा सकता है।

विभिन्न परिस्थितियों और यह प्रश्न कि क्या किसी विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, एक या दूसरे सूत्र का सहारा लेकर नुकसान की गणना की जानी चाहिए, प्रमुख रूप से मामले के अधिकार क्षेत्र में आएगा। मध्यस्थ।

110. चूँकि गणना नुकसान की गणना करने के लिए परिस्थितियों और तरीकों पर निर्भर करती है, इसलिए इसकी मात्रा कैसे निर्धारित की जानी चाहिए, यह एक ऐसा मामला है जो मध्यस्थ के निर्णय पर निर्भर करेगा। हालाँकि, हम इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पुरस्कार के उस हिस्से में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं देखते हैं कि वर्षों से विकसित उपरोक्त सूत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया जाता है और इसलिए, इसे प्रावधानों के पूरी तरह से विपरीत नहीं कहा जा सकता है।

भारतीय कानून "।

. कुछ और निर्णयों का हवाला देते हुए और व्यापक रूप से उद्धृत करने के बाद

एम ', उच्च न्यायालय चर्चा के साथ आगे बढ़ाआर. के. दास बनाम। एम. पी. और एक अन्य का राज्य

जी. सी. वी. कॉमेक्स

ऐश खराडे बनाम। डॉ. विजय कुमार खंडरे और अन्य

धी वी. विसमस्ती ए जावेद मुर्तजा बनाम। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर और एक अन्य [2018] 1 एस. सी. आर.

" इसलिए, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने नुकसान का पता लगाने के तरीकों में से एक के रूप में पट्टे के किराए को अपनाने के बाद इस बात पर विचार किया है कि स्थापित वस्तुओं, फंसी हुई वस्तुओं और गैर-निर्मित वस्तुओं पर पट्टे के किराए के माध्यम से क्या नुकसान दिया जाना चाहिए। हमारे विचार में, नुकसान का पता लगाने और गणना करने के उपाय और विधि पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निष्कर्ष में त्रुटि खोजना संभव नहीं है।

मुआवजे के अंतिम आंकड़े पर पहुंचने के लिए इसके द्वारा अपनाया गया

दावेदार/डी. एस. एल. को देय।

कानून में यह भी काफी अच्छी तरह से स्थापित स्थिति है कि एक बार यह स्थापित हो जाने के बाद कि पक्ष को अनुबंध के मौलिक उल्लंघन के कारण अनुबंध को समाप्त करने में उचित ठहराया गया था, उस स्थिति में, ऐसा निर्दोष पक्ष पूरे अनुबंध के लिए हर्जाने का दावा करने का हकदार है, यानी उस हिस्से के लिए जो निष्पादित किया गया है और अनुबंध के शेष हिस्से के लिए भी जिसे उसे निष्पादित करने से रोका गया था। यह सिद्धांत कई मामलों में काफी अच्छी तरह से तय किया गया है। अतः न्यायाधिकरण, उपरोक्त में नुकसान की गणना करने में पूरी तरह से उचित था।

तरीके से। मामले के इस दृष्टिकोण में हम उन निर्णयों से निपटने का प्रस्ताव नहीं करते हैं जिन पर निर्भर रहने की मांग की जाती है।

एमएसईबी।

एम. एस. ई. बी. द्वारा निर्धारित और इसलिए, इन अनुबंध वस्तुओं का खुले बाजार में निपटान नहीं किया जा सका। भले ही उक्त अनुबंध वस्तुओं को समाप्त कर दिया गया हो, मूल्य शून्य हो जाएगा। न्यायाधिकरण ने यह भी कहा कि दातार ने प्रदर्शनी-सी-16 के संदर्भ में कहा कि कारखाने में फंसी अनुबंध वस्तुओं को अन्य बिजली बोर्डों को बेचने के प्रयास किए गए थे, लेकिन वे प्रयास सफल नहीं हुए। अतः शमन के प्रश्न पर न्यायाधिकरण द्वारा विचार किया गया और एम. एस. ई. बी. की दलीलें थीं स्वीकार नहीं किया गया। हमारे विचार में, न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया तर्क नहीं हो सकता है

दोषी ठहराएँ "।

25. उच्च न्यायालय के अनुसार, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने फैसला सुनाया था

यह सबसे रूढ़िवादी तरीके से है और इस प्रकार, इन नुकसानों को देने में कोई कार्रवाई नहीं की है। अंत में, उच्च न्यायालय ने ई-चैंबर समन पर विचार किया जो अपीलार्थी द्वारा दायर किए गए थे और

उस पर चर्चा करते हुए, इन सभी सम्मनों को खारिज कर दिया गया।

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी। लिमिटेड। वी. एम/एस। दातार स्विचगियर लिमिटेड। [ए. के. सिकरी, जे.]

26. परिणामस्वरूप, अपीलार्थी की अपील खारिज कर दी गई।

अपीलकर्ता के तर्क:

27 श्री विकास सिंह ने 1993-94 की निविदा का उल्लेख किया, जिसके अनुसार प्रतिवादी ने LTSC के 12,555 नंबर स्थापित किए थे, और

अपीलार्थी। प्रत्यर्थी द्वारा सामना की गई इस आलोचना को ध्यान में रखते हुए, इसने पहले के अनुबंध में किए गए प्रतिष्ठानों को बदलने और उसी के संबंध में पुराने किराये का शुल्क लेने के लिए स्वेच्छा से काम किया। इस बीच, स्थापना के लिए वर्ष 1996 की निविदा के अनुसार, प्रतिवादी को 11,760 अनुबंध वस्तुओं की स्थापना के लिए कार्य प्रदान किया गया था। उक्त आश्वासन के अनुसार, अपीलार्थी ने 27 मार्च, 1997 को एक कार्य आदेश दिया। पहले के अनुबंध वस्तुओं के 12,555 पैनलों के प्रतिस्थापन के साथ-साथ 23,672 एल. टी. एम. एस. पैनलों की स्थापना और कार्य आदेश अंततः निम्नानुसार हो गया:

(i) 11,760 नंबरों के उपकरणों की आपूर्ति करें।

1996-1997 अनुबंध। बी-I स्थान;

((ii) उपकरणों के प्रतिस्थापन के लिए 12,555 संख्याएँ

1993-94 अनुबंध-बी-II स्थान; और

(iii) 23,672 संख्या उपकरण जो बी-II स्थान-बी-III स्थानों के साथ एक पैकेज के रूप में दिए गए थे।

28. श्री विकास सिंह ने अनुबंध के खंड 5 का उल्लेख किया जिसके अनुसार अनुलग्नक-बी-I, बी-II और बी-III में अनुसूची द्वारा कवर की गई एल. एम. प्रणालियों की पूरी आपूर्ति और स्थापना को बीस महीने के भीतर पूरा किया जाना था। इसके बाद उन्होंने पक्षों के बीच आदान-प्रदान किए गए पत्राचार को पढ़ा और उस आधार पर उन्होंने तर्क देना चाहा कि

अपीलार्थी, स्थानों की सूची 14 जुलाई, 1997 को तैयार की गई थी, लेकिन यह प्रतिवादी है जो अनुबंध वस्तुओं की स्थापना में कठिनाइयों का सामना कर रहा था और दंड से मुक्ति के साथ अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन कर रहा था। प्रत्यर्थी ने अपनी पात्रता से अधिक राशि भी निकाल ली थी। 21 दिसंबर, 1998 के पत्र के माध्यम से, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी को बी-III स्थानों से पहले बी-I और बी-II की स्थापना करने के लिए लिखा था, क्योंकि उस तारीख तक, प्रत्यर्थी ने पहले ही 17,294 वस्तुओं को स्थापित कर लिया था, जिनमें से बी-II केवल 2014 था। हालाँकि, उत्तरदाताओं ने 21 मार्च, 1998 के अपने जवाब में बी-III स्थानों पर एक साथ वस्तुओं को स्थापित करने के अपने अधिकार पर जोर दिया। उन्होंने आगे बताया कि 18 फरवरी, 1999 के अपने पत्र में, प्रतिवादी ने स्वीकार किया कि उसे रु।

हालाँकि, उनकी पात्रता से अधिक 4.34 करोड़ रुपये, अगली तारीख को, यानी [2018] 1 एस. सी. आर. पर।

19 फरवरी, 1999 को इसने 30,695 अनइंस्टॉल की गई वस्तुओं के अनुबंध को समाप्त करने की मांग की, लेकिन स्थापित वस्तुओं को बनाए रखने के लिए स्वेच्छा से काम किया, बशर्ते कि उसी के लिए किराया आने वाला हो। यह तर्क दिया गया था कि चूंकि किराए का भुगतान एक अपरिवर्तनीय एल. सी. के माध्यम से किया जाता था, और तब से

एल. सी. 19 फरवरी, 1999 को वैध था, 17,294 वस्तुओं को बनाए रखने के प्रस्ताव को अपीलार्थी द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया गया था क्योंकि अपीलार्थी ने 19 फरवरी, 1999 को अनुबंध की समाप्ति के बावजूद एल. सी. को रद्द नहीं किया था। दूसरे शब्दों में, 19 फरवरी, 1999 को अनुबंध की समाप्ति के बाद भी एल. सी. जीवित बना रहा ताकि अनइंस्टॉल की गई वस्तुओं के भविष्य के किराए का भुगतान किया जा सके। इसके बावजूद, प्रत्यर्थी ने 21 अप्रैल, 1999 के अपने संचार के माध्यम से अनुबंध को समाप्त कर दिया। उपरोक्त पृष्ठभूमि में यह प्रस्तुत किया गया था कि उत्तरदाताओं की कार्रवाई स्पष्ट रूप से अवैध थी। यह आगे था तर्क दिया कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निष्कर्ष कि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थियों को अनुबंध वस्तुओं की पूरी सूची प्रदान नहीं करने में अनुबंध का मौलिक उल्लंघन किया था, स्पष्ट रूप से गलत है जो स्पष्ट रूप से अवैध है और अनुबंध की शर्तों के विपरीत है। यह प्रस्तुत किया गया था कि इस निष्कर्ष को दर्ज करने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण का पूरा आधार 21 दिसंबर, 1998 के अपीलार्थी के पत्र के आधार पर था, जिसमें प्रतिवादी को केवल बी-III स्थान स्थापित करने से रोक दिया गया था क्योंकि प्रतिवादी अपने अधिकार से अधिक बिल वसूलने के कदाचार में लिप्त था, जो 18 फरवरी, 1999 को स्वयं उत्तरदाताओं द्वारा दिए गए क्रेडिट नोट से साबित होता है। उक्त पत्र ने प्रतिवादी को बी-II स्थानों को स्थापित करने से नहीं रोका, जो 19 फरवरी, 1999 को स्थापित किए जाने के लिए 10,541 शेष थे। मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने एक विकृत निष्कर्ष दर्ज किया जिसके परिणामस्वरूप पेटेंट हुआ

पुरस्कार में अवैधता कि 21 दिसंबर, 1998 के पत्र द्वारा अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी को बी-II स्थानों को स्थापित करने से रोक दिया था जब स्पष्ट रूप से न तो उक्त पत्र में इसका उल्लेख किया गया था और न ही प्रतिवादी द्वारा 23 दिसंबर, 1999 के अपने जवाब में इसे समकालीन रूप से समझा गया था, जिसमें उन्होंने केवल होने का विरोध किया था।

बी-III वस्तुओं को स्थापित करने के अवसर से इनकार कर दिया। तदनुसार मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने यह अभिनिर्धारित करते हुए एक गंभीर गलती की कि अपीलार्थी ने एक मौलिक उल्लंघन किया था, जब स्पष्ट रूप से समाप्ति की तारीख को प्रत्यर्थी के पास कोल्हापुर क्षेत्र में 10541 बी-II स्थान और स्वीकार्य रूप से 1633 बी-आवंटन थे और वे 2500 बफर ऑब्जेक्ट्स को बनाए रखने के अनुबंध के तहत बाध्य थे और इसलिए प्रत्यर्थी के पास उस समय केवल 14026 अनुबंध ऑब्जेक्ट्स थे, जबकि उन्हें उक्त तिथि पर कम से कम 14,674 अनुबंध ऑब्जेक्ट्स को बनाए रखने की आवश्यकता थी।

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी। लिमिटेड। वी. एम/एस। दातार स्विचगियर लिमिटेड। [ए. के. सिकरी, जे.]

29. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री विकास सिंह का अगला निवेदन यह था कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने एक विशिष्ट निष्कर्ष दिया कि एल. सी. 30 अप्रैल, 1999 तक वैध था और अपीलार्थी की ओर से कोई चूक नहीं हुई थी।

इस ओर से, जिस निष्कर्ष की पुष्टि विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ डिवीजन बेंच द्वारा भी की गई थी, जिसने पहले दौर में अपील की सुनवाई की थी। इसलिए, मध्यस्थ न्यायाधिकरण के लिए स्थापित वस्तुओं के लिए हर्जाना देने का कोई अवसर नहीं था क्योंकि कोई चूक कथित नहीं थी और अपीलार्थी द्वारा कोई चूक नहीं की गई थी। 30. अपीलार्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा अधिनियम की धारा 34 (पहले दौर में) के तहत अपीलार्थी की याचिका में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित 3 अगस्त, 2005 के आदेश पर बहुत जोर दिया गया था, जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थी के पक्ष में मामले का फैसला करते हुए कहा था कि स्थापित वस्तुओं के संबंध में हर्जाने के भुगतान के लिए कोई निर्देश नहीं हो सकता है क्योंकि मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा कोई चूक नहीं पाई गई थी और इसलिए न्यायाधिकरण ने एक गंभीर निर्णय दिया था।

उसके संबंध में मुआवजा देने में गलती। दिनांकित क्रम में 3 अगस्त, 2005 को विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी निर्णय दिया था कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने इस संबंध में मुआवजा देकर अवैधता की थी

उत्तरदाताओं को उन्हें बनाए रखने की अनुमति देते हुए निर्मित लेकिन स्थापित नहीं की गई वस्तुओं का। इसी तरह, निर्णय में इस हद तक त्रुटि थी कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने प्रतिवादी को उक्त कच्चा माल अपीलार्थी को सौंपने का निर्देश दिए बिना, प्रतिवादी के पास उपलब्ध कच्चे माल के लिए राशि का फैसला सुनाया। हालाँकि, 3 अगस्त, 2005 के इस आदेश को डिवीजन बेंच द्वारा अपील में दरकिनार कर दिया गया था, जिसे प्रतिवादी द्वारा पसंद किया गया था, विद्वान वरिष्ठ वकील का निवेदन था कि यह गलती से केवल इस आधार पर दरकिनार कर दिया गया था कि एकल न्यायाधीश ने धारा 34 की याचिका को अनुमति देते समय विशेष रूप से ऐसा नहीं किया था।

उस विशेष धारा का उल्लेख किया जिसके तहत याचिका की अनुमति दी गई थी जब स्पष्ट रूप से विद्वान एकल न्यायाधीश का आदेश इस आधार पर पारित किया गया था कि पुरस्कार भारत की सार्वजनिक नीति के खिलाफ है और इसलिए यह स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 34 (2) (बी) (ii) के लिए संदर्भित था। इसलिए, मामले को एकल को वापस भेजने का कोई अवसर या आवश्यकता नहीं थी

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। चूंकि डिवीजन बेंच का निर्देश एकल न्यायाधीश को समयबद्ध तरीके से मामले का फैसला करने का था, इसलिए डिवीजन बेंच के आदेश के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई होने से पहले ही बॉम्बे हाईकोर्ट के विद्वान एकल न्यायाधीश ने पूरी तरह से गलत आधार पर धारा 34 की याचिका को खारिज कर दिया।

मानो कि अपीलार्थी ने धारा 34 (2) (iv) के तहत मामले में तर्क दिया था जब [2018] 1 एस. सी. आर.

मान लीजिए कि उक्त धारा के तहत कोई तर्क नहीं दिया गया था और

सभी तर्कों के साथ-साथ लिखित प्रस्तुति केवल इस संबंध में थी कि पुरस्कार धारा के तहत सार्वजनिक नीति के विपरीत है।

34 (2) (ख) (ii)। इस तरह से, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया, विद्वान एकल न्यायाधीश डिवीजन बेंच के आदेश से परे चला गया

अधिनियम की धारा 34 के तहत अपीलार्थी की याचिका को पूरी तरह से खारिज करते हुए और खंड पीठ ने एकल न्यायाधीश के ऐसे आदेश को अपनी अभेद्यता देने में भी गलती की है।

31. बहुत जोर देकर अपनी दलीलें जारी रखते हुए, श्री विकास

सिंह ने आगे तर्क दिया कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या अनुबंध एक पूर्ण अनुबंध था और क्या उसे विभाजित किया जा सकता है या नहीं जैसा कि उत्तरदाताओं ने तर्क दिया था। उन्होंने अनुबंध के प्रावधानों, प्रासंगिक पत्राचार और उत्तरदाताओं के गवाहों के प्रस्तुत करने का उल्लेख किया ताकि उत्तरदाताओं के इस तर्क का खंडन किया जा सके कि अनुबंध एक सौदा था और इसे विभाजित करने का कोई अधिकार नहीं था। उन्होंने कुछ निर्णयों 2 का भी उल्लेख करते हुए कहा कि विचाराधीन अनुबंध को स्पष्ट रूप से विच्छेद योग्य माना जा सकता है और यह न्यायालयों का कर्तव्य है कि वे अप्रवर्तनीय भाग की तुलना में प्रवर्तनीय भाग को गंभीर बनाएँ।

32. अनइंस्टॉल की गई वस्तु के पहलू को छूते हुए, यह था

प्रस्तुत किया कि कार्य आदेश के संदर्भ में, आपूर्ति और स्थापना कार्य आदेश या एल. सी. के खुलने की तारीख से शुरू होनी थी या

डीटीसी के स्थानों की पूरी सूची की प्राप्ति, जो भी बाद में हो। 14 जुलाई, 1997 को अपीलार्थी ने उत्तरदाताओं को लिखा कि स्थानों की सूची सर्कल कार्यालय के पास उपलब्ध है। उत्तरदाताओं ने 14 जुलाई, 1997 को सर्कल कार्यालय से वास्तव में उक्त सूची प्राप्त किए बिना स्थानों की पूरी सूची उपलब्ध कराने की तारीख मान ली। खंड में बहुत स्पष्ट रूप से तारीख से शुरू होने के लिए चार महीने की अवधि का प्रावधान किया गया था

19 जुलाई, 1997 से शुरू होने वाली चार महीने की अवधि को ध्यान में रखते हुए, पूर्ण स्थानों की सूची की प्राप्ति और यह माना जा सकता है कि प्रत्यर्थी को 14 जुलाई, 1997 को स्थानों की सूची प्राप्त नहीं हुई थी और न ही उसके बाद किसी समय जब तक कि उन्होंने 18 नवंबर, 1997 को स्थापना शुरू नहीं की थी।

2 फर्म भगवानदास शोभालाल जैन, एक पंजीकृत फर्म और अन्र। वी. मध्य प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. 1966 एम. पी. 95; शिन सैटेलाइट पब्लिक कंपनी लिमिटेड बनाम। जैन स्टूडियो लिमिटेड, (2006) 2 एस. सी. सी. 628; बीड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कॉप। बैंक लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य। , (2006) 8 एस. सी. सी. 514, दारुका एंड कंपनी बनाम। भारत संघ और अन्य। , (1973) 2 एस. सी. सी. 617 और भारतीय खाद्य निगम बनाम यूसुफ एंड कंपनी, केरल उच्च न्यायालय (डी. बी.)

(17.11.1980) पृष्ठ 2296 पर 1976 का ए. एस. सं. 31 (खंड के 2280-2297 से शुरू)

एक्स)

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी। लिमिटेड। वी. एम/एस। दातार स्विचगियर लिमिटेड। [ए. के. सिकरी, जे.]

दिनांक 14 जुलाई, 1997 का संचार। स्पष्ट रूप से, प्रत्यर्थी के पास 14 जुलाई, 1997 के बाद 18 नवंबर, 1997 को किसी भी स्थापना को शुरू करने से पहले स्थानों की पूरी सूची पर जोर देने के लिए पर्याप्त समय था। इसलिए, विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि यह प्रतिवादी है जिसने काम पूरा नहीं करने में अनुबंध का उल्लंघन किया है।

33. श्री विकास सिंह ने एक बार फिर उस निवेदन पर जोर दिया जो विद्वान मध्यस्थ के साथ-साथ उच्च न्यायालय के समक्ष किया गया था, कि

डी. टी. सी. स्थान की सूची के संबंध में प्रतिवादी द्वारा छूट दी गई थी और इस तरह की छूट के परिणाम धारा 55 के अनुसार आने थे।

पैराग्राफ 42 से 49 तक, जिसमें यह छूट इस तरह से अधिकार का परित्याग करने के बराबर है कि अन्य पक्ष याचिका दायर करने के हकदार हैं। स्वीकारोक्ति और परिहार के माध्यम से परित्याग यदि इसके बाद अधिकार का दावा किया जाता है और या तो व्यक्त किया जाता है या आचरण से निहित होता है। कानून के समान प्रस्ताव को निर्धारित करने वाले कई अन्य निर्णयों का भी उल्लेख किया गया था।

34. इसके अतिरिक्त, यह प्रस्तुत किया गया था कि अपीलार्थी ने 17 जून, 1998 को प्रत्यर्थी को पूरक-वार स्थापना करने की अनुमति दी थी

बी-I, बी-II और बी-III स्थानों की परवाह किए बिना। 17 जून, 1998 के बीच

21 दिसंबर, 1998 तक यानी छह महीने से अधिक की अवधि के लिए, उत्तरदाताओं के पास सभी बी-II स्थान उपलब्ध थे जो 12,555 हैं।

3 1959 सप. (2) एससीआर 217

4 (1969) 3 एस. सी. सी. 445

5 (2008) 12 एस. सी. सी. 401 [2018] 1 एस. सी. आर.

जिनमें से उन्होंने केवल 2014 को स्थापित किया और उन्होंने 10541 बी-II स्थानों को स्थापित नहीं किया, जो वे स्थान थे जहां प्रतिवादी ने स्वयं 1993 और 1994 की निविदा के खिलाफ अनुबंध वस्तुओं को स्थापित किया था और उस समय उक्त वस्तुओं का रखरखाव कर रहे थे जब वर्तमान निविदा लागू थी।

सम्मानित किया गया और इसलिए उक्त स्थानों की पूरी जानकारी में थे। प्रयास यह दिखाने का था कि प्रत्यर्थी को पर्याप्त संख्या में स्थानों के बारे में पता था, यहां तक कि बी-II स्थानों के बारे में भी और इसलिए, अनुबंध को समाप्त करने का कोई कारण नहीं था और वास्तव में, यह प्रत्यर्थी ही था जो अनुबंध के तहत अपने दायित्वों का पालन करने में विफल रहा था और इस प्रकार, उसके उल्लंघन के लिए जिम्मेदार था। उस आधार पर, निवेदन यह था कि स्थापित नहीं किए गए उद्देश्य के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण का निर्णय स्पष्ट रूप से अवैध है और यह न्यायालय की अंतरात्मा को भी झकझोर देता है और सार्वजनिक नीति के विरोध के रूप में अलग किया जा सकता है। विशेष रूप से अधिनिर्धारित उद्देश्यों के लिए दिए गए हर्जाने को ध्यान में रखते हुए, यह तर्क दिया गया कि कार्य आदेश में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक अनुबंध उद्देश्य अपीलार्थी और प्रतिवादी के बीच एक अलग अनुबंध था और इसलिए, यह निर्णय करना मध्यस्थ न्यायाधिकरण का दायित्व था कि अपीलार्थी द्वारा पहले स्थापित उद्देश्यों के लिए क्या गलती की गई थी।

उसी के लिए कोई भी नुकसान प्रदान करना। विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि इस अभ्यास की अनुपस्थिति ने पुरस्कार को अवैध और अधिनियम की धारा 34 में उल्लिखित सार्वजनिक नीति का उल्लंघन किया था।

35. उन वस्तुओं के संबंध में दिए गए नुकसान पर सवाल उठाते हुए जो निर्मित भी नहीं हैं; न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए नुकसान की मात्रा

और नुकसान को कम करने में प्रतिवादी की ओर से विफलता, वही तर्क दिए गए जो उच्च न्यायालय के समक्ष भी लिए गए थे। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने चैंबर समन को अस्वीकार करने में गंभीर त्रुटि की है। उत्तरदाता द्वारा जवाब में तर्क:

36. प्रत्यर्थी की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री दादा ने अपीलार्थी की सभी उपरोक्त दलीलों का पुरजोर खंडन किया और कहा

यह दिखाने का गंभीर प्रयास कि मुद्दों से निपटने और हर्जाने देने में मध्यस्थ न्यायाधिकरण का पूरा दृष्टिकोण कानूनी रूप से सही था और यह पुरस्कार विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा उचित रूप से आयोजित किया गया था। 37. शुरुआत में, श्री दादा ने विचाराधीन अनुबंध की महत्वपूर्ण प्रकृति पर जोर दिया, जो अनिवार्य रूप से दस के लिए संचालन पट्टे के लिए था।

ऊर्जा बचत उपकरणों के संबंध में वर्ष जो स्थापित किए जाने थे प्रतिवादी सं. 2 अपीलार्थी द्वारा दिए जाने वाले स्थानों के बारे में।

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी। लिमिटेड। वी. एम/एस। दातार स्विचगियर लिमिटेड। [ए. के. सिकरी, जे.]

उन्होंने बताया कि चूंकि यह पट्टे के आधार पर इन उपकरणों के संचालन के लिए एक अनुबंध था, इसलिए पूरा निवेश प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा किया जाना था।

और अपीलार्थी को केवल पट्टा किराया देना था, वह भी इस शर्त पर कि अनुबंध के उद्देश्य संतोषजनक रूप से काम कर रहे थे। इसके अलावा, अनुबंध एक 'पट्टा' अनुबंध होने के कारण, उपकरण का स्वामित्व प्रतिवादी संख्या 2 के पास रहना था और इसे कभी भी अपीलार्थी को हस्तांतरित नहीं किया जाना था। उपरोक्त परिदृश्य में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया

प्रत्यर्थी संख्या 2, प्रत्यर्थी संख्या 2 केवल डी. टी. सी. स्थानों को प्रस्तुत करने पर वस्तुओं की स्थापना के अनुबंध के अपने हिस्से का प्रदर्शन कर सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि अपीलार्थी इस दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहा और इस प्रकार उसने अनुबंध का मौलिक उल्लंघन किया। यह मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा ऐसा अभिनिर्धारित किया गया है और इसी निष्कर्ष को उच्च न्यायालय द्वारा भी बरकरार रखा गया था। प्रस्तुतिकरण यह था कि यह तथ्य का निष्कर्ष होने के कारण, अपीलार्थी की ओर से अनुबंध का उल्लंघन स्थापित होता है।

38. इस पहलू पर विस्तार से बताते हुए, यह तर्क दिया गया कि अपीलार्थी ने 14.07.1997 पर प्रतिवादी संख्या 2 को एक स्पष्ट अभ्यावेदन दिया

जिला कार्यालयों के पास अनुसूची बी-II सहित डीटीसी स्थानों की पूरी सूची तैयार है। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने उक्त पर कार्रवाई की

नवंबर 1997 में प्रतिनिधित्व और स्थापना शुरू हुई। उस पर 20.04.1998 , अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी सं. 2 को परिसमापन की धमकी दी

नुकसान पहुँचाते हैं और चेतावनी देते हैं कि स्थापना के लिए समय नहीं बढ़ाया जाएगा। इस पत्र ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि डीटीसी स्थानों को अपीलार्थी के जिला कार्यालयों द्वारा रोक दिया गया था। दोनों पक्षों को पता था कि समय शुरू हो गया था और स्थापना 18.03.1999 (18.07.1997 से बीस महीने, यानी अपीलार्थी से दिनांकित 14.07.1997 पत्र की प्राप्ति की तारीख) से पहले पूरी की जानी थी। 120 से अधिक पत्रों के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा कठोर अनुवर्ती कार्रवाई और संकट अपीलों के बावजूद, अपीलार्थी ने डीटीसी स्थानों की पूरी सूची प्रस्तुत नहीं की। 21.12.1998 पर, अपीलार्थी ने कार्य को इस क्रम में सख्ती से आगे बढ़ाने का निर्देश दिया -

कोल्हापुर, नासिक और औरंगाबाद क्षेत्र, आगे के अनुक्रम बी-1, बी-2 और बी-3 के साथ। अपीलार्थी ने बिना कोई कारण बताए बी03 के तहत अनिश्चित काल के लिए काम बंद कर दिया। हालाँकि, 19.02.1999 तक भी, प्रतिवादी संख्या 2 को कोल्हापुर में बी-I स्थानों की पूरी सूची प्रदान नहीं की गई थी। अपीलार्थी के तकनीकी सदस्य से चार दिनों के भीतर सूची देने के लिए 11.02.1999 के प्रतिनिधित्व के बावजूद, यानी 15.02.1999 द्वारा, कोई सूची प्राप्त नहीं हुई थी। अपीलार्थी से सहयोग की अपेक्षा करने की निरर्थकता को महसूस करते हुए, प्रतिवादी संख्या 2 ने

19.02.1999 पर अनुबंध को समाप्त कर दिया। 39. यह आगे प्रस्तुत किया गया था कि प्रतिवादी संख्या 2 ने अभी भी 17294 स्थापित वस्तुओं को बनाए रखने के लिए 'प्रस्ताव' दिया था (हालाँकि, अपीलकर्ता [2018] 1 एस. सी. आर. स्वीकार कर रहा था।

जुलाई 199 तक केवल 7000 अनुबंध वस्तुओं की स्थापना, जैसा कि मध्यस्थों के समक्ष दायर अंतरिम आवेदन में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा कहा गया है), बशर्ते कि भुगतान बिना किसी विवाद या विवाद के किया गया था-जाहिर तौर पर एन. आई. एल. प्रदर्शन प्रमाणपत्रों द्वारा वित्तीय नाकाबंदी और विफलता रिपोर्ट के निर्माण की ओर इशारा करते हुए। प्रत्यर्थी सं. 2 ने अपीलार्थी को सात दिए।

यह बताने के लिए कि क्या उक्त "प्रस्ताव" स्वीकार्य था। मान लीजिए, अपीलार्थी ने प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और प्रत्यर्थी संख्या 2 के खिलाफ इस आधार पर जवाबी दावा करने के लिए आगे बढ़े कि प्रत्यर्थी संख्या 2 ने 19.02.1999 पर पूरे अनुबंध को छोड़ दिया था, जिसमें स्थापित वस्तुओं के लिए भी शामिल था।

40. इसके बाद श्री दादा ने तर्क दिया कि विवादों को मध्यस्थ न्यायाधिकरण को भेजे जाने के बाद, यह विस्तार में चला गया

प्रत्येक मुद्दे को बारीकी से पढ़ें। इस न्यायाधिकरण में प्रख्यात सेवानिवृत्त न्यायाधीश शामिल थे जिन्होंने इसके समक्ष पेश किए गए गवाहों के बयान के साथ-साथ अन्य दस्तावेजी साक्षयों की जांच की। 125 इस प्रक्रिया में पांच साल की अवधि में बैठकें आयोजित की गईं, जो 150 पृष्ठों में चलने वाले एक पूरी तरह से तर्कपूर्ण और सर्वसम्मत पुरस्कार में समाप्त हुई।

जिसका निर्णय प्रत्यर्थी संख्या 2 के पक्ष में और अपीलार्थी के खिलाफ किया गया था। उनका तर्क था कि अपीलार्थी की अधिकांश दलीलें केवल तथ्यों के निष्कर्षों पर सवाल उठा रही थीं और यह न्यायालय इस तरह की यात्रा शुरू नहीं करेगा और संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए इसकी शुद्धता का फैसला नहीं करेगा।

41. हम श्री के उपरोक्त समर्पण में पर्याप्त बल पाते हैं।

दादा जी। आइए पहले इन निष्कर्षों पर ध्यान दें:

तथ्यों की खोज:

42. पुरस्कार में निहित तर्क निम्नलिखित मुख्य बातों को प्रकट करता है:

मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निष्कर्ष:

(i) अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या 2 को कार्य करने से रोक दिया।

अनुबंध।

उत्तरदाता संख्या 2 तैयार था और प्रदर्शन करने के लिए तैयार था

पूरा अनुबंध करें।

(iii) अपीलार्थी ने अपने किसी भी अधीक्षण अभियंता की जांच नहीं करने का फैसला किया जो प्रतिवादी संख्या 2 को डी. टी. सी. स्थान देने के लिए प्रभारी थे और जैसा कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पाया गया है, वे प्रत्येक सर्कल के प्रमुख थे।

अनुबंध।

राष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी। वी. एम/एस। दातार स्विचगियर लिमिटेड। [ए. के. सिकरी, जे.]

iv) प्रत्यर्थी संख्या 2 को प्रस्तुत करने में काफी योग्यता है कि बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 24.06.1998 एक मनगढ़ंत दस्तावेज है।iv) अपीलार्थी के प्रस्तुत करने को स्वीकार करना संभव नहीं है।

कि प्रत्यर्थी संख्या 2 के पास स्थानों की पर्याप्त सूची थी

उपलब्ध है और अभी भी अनुबंध वस्तुओं को स्थापित करने में विफल रहा है।

vi) यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी के कार्य में कुछ गंभीर त्रुटि है। एक बार जब दस्तावेज़ों के हलफनामे में एक पत्र सूचीबद्ध हो जाता है, तो यह आश्चर्य की बात है कि पत्र कैसे था

पता लगाने योग्य नहीं है। तथ्य यह है कि अनुबंध की समाप्ति की तारीख से पहले, कम से कम तीन में

सर्कल, अपीलार्थी ने स्थापना को रोकने का निर्देश दिया था

काम करते हैं।

vii) यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपीलार्थी के मुख्य कार्यालय का क्षेत्रीय कार्यालयों पर नियंत्रण नहीं था और जिसके कारण अंततः परियोजना विफल हो गई। यह कहना भी व्यर्थ है कि

उल्लंघन मौलिक नहीं था।

viii) प्रत्यर्थी संख्या 2 अनुबंध के अपने हिस्से का प्रदर्शन करने के लिए तैयार और इच्छुक था, जबकि अपीलार्थी ने अनुबंध की शर्तों के अनुसार डीटीसी स्थानों की आपूर्ति करने में विफलता से उल्लंघन किया।

अनुबंध।

ix) उत्तरदाता संख्या 2 ने परियोजना में Rs.163 करोड़ का निवेश किया।

x) अपीलार्थी यह साबित करने में विफल रहा कि कटौती में

प्रदर्शन प्रमाण पत्र उचित थे।

xi) अपीलार्थी अभिलेख पर प्रस्तुत कमीशन रिपोर्टों के साथ छेड़छाड़ करने में लिप्त था। प्रयास एक सांविधिक निकाय के लिए व्यवहार्य नहीं है और इसकी निंदा करने की आवश्यकता है। अपीलार्थी द्वारा ऐसे दस्तावेज़ प्रस्तुत करने का प्रयास जिनके साथ छेड़छाड़ की गई है और जो वास्तविक नहीं हैं, यह इंगित करता है कि अपीलार्थी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था।

प्रत्यर्थी संख्या 2 के खिलाफ आरोप।

xii) अपीलार्थी ने दस्तावेजों के शपथ पत्र में इस आधार पर बड़ी संख्या में दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए कि वे उपलब्ध नहीं हैं।xiii) अपीलार्थी का जवाबी दावा गलत है और कुछ भी नहीं है [2018] 1 एस. सी. आर.

प्रत्यर्थी के खिलाफ किए गए दावे के लिए जवाबी विस्फोट की कमी नं. 2।

(xiv) केवल अपीलार्थी और अपीलार्थी ने ही कार्य आदेश की शर्तों का मौलिक उल्लंघन किया था। (xv) अपीलार्थी ने असमर्थनीय और अस्थिर बचाव किया है जिसके कारण निष्कर्ष निकालने में काफी देरी हुई है

कार्यवाही।

ये भौतिक साक्षय पर आधारित तथ्यों के निष्कर्ष हैं।

जो मामले के रिकॉर्ड में सामने आया।

अनुबंध की समाप्ति वैध और न्यायसंगत थी:

अपने संविदात्मक दायित्वों का पालन करने के लिए तैयार और इच्छुक, लेकिन अपीलार्थी द्वारा इस तरह के प्रदर्शन से रोका गया था। एक अन्य विशिष्ट निष्कर्ष जो मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा वापस किया जाता है, वह यह है कि अपीलार्थी ने स्थानों की सूची नहीं दी थी और इसलिए, इसका यह निवेदन कि प्रतिवादी संख्या 2 के पास उपलब्ध स्थानों की पर्याप्त सूची थी, लेकिन फिर भी अनुबंध उद्देश्यों को स्थापित करने में विफल रहा, स्वीकार्य नहीं था। वास्तव में, इस मामले में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने स्वयं अपीलार्थी के काम करने पर टिप्पणी की है और क्षेत्र कार्यालयों पर अपीलार्थी के मुख्य कार्यालय द्वारा नियंत्रण की कमी के बारे में अपनी निराशा व्यक्त की है जिसके कारण अनुबंध विफल हो गया। ये उन तथ्यों के निष्कर्ष हैं जिन पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया है अभिलेख पर साक्षय और दस्तावेजों की सराहना करना। इन निष्कर्षों से यह स्थापित होता है कि अपने दायित्वों को पूरा करने में अपीलार्थी की ओर से एक मौलिक उल्लंघन हुआ है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 की कोई गलती नहीं है, जिसने परियोजना में Rs.163 करोड़ की भारी राशि का निवेश किया था। पुरस्कार के अवलोकन से पता चलता है कि न्यायाधिकरण ने कार्य आदेश से संबंधित पक्षों के बीच पूरे लेनदेन के संचालन की जांच की, जिसमें डीटीसी स्थानों को रोकना, स्थापित वस्तुओं के संबंध में पक्षों द्वारा आरोप और जवाबी आरोप शामिल हैं। मध्यस्थों ने ध्यान केंद्रित नहीं किया

एक विशेष उल्लंघन पर वस्तुओं की विशेष संख्या/वस्तुओं के वर्ग। प्रत्यर्थी संख्या 2 का कहना सही है कि मौलिक उल्लंघन, अपनी प्रकृति से, पूरे अनुबंध में व्याप्त है और एक बार ऐसा करने के बाद, अनुबंध को पूरी तरह से निरस्त कर दिया जाता है। यह उपरोक्त आधार पर है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा अनुबंध की समाप्ति क्रम में और वैध थी।

प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी। लिमिटेड। वी. एम/एस। दातार स्विचगियर लिमिटेड। [ए. के. सिकरी, जे.]

44. इस स्तर पर, हम अपीलार्थी के विवाद से इस प्रभाव से निपट सकते हैं कि मध्यस्थों ने स्वयं एक निष्कर्ष दर्ज किया है कि एल. सी. अभी भी चालू था और समाप्त नहीं हुआ था और इसलिए, न्यायाधिकरण का यह निष्कर्ष कि अनुबंध को वैध रूप से समाप्त कर दिया गया था, स्वयं विरोधाभासी था।

45. हालांकि यह विवाद पहले में आकर्षक प्रतीत होता है।

शर्म करो, हम उसकी गहरी जांच में कोई सार नहीं पाते हैं। श्री दादा द्वारा यह उचित रूप से तर्क दिया गया था कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया है कि चूंकि अनुबंध 19.02.1999 पर समाप्त कर दिया गया था, इसलिए अपीलार्थी को एल. सी. का नवीनीकरण करने की आवश्यकता नहीं थी। दूसरे शब्दों में, चूंकि 19.02.1999 के बाद कोई अनुबंध अस्तित्व में नहीं था, इसलिए उल्लंघन नहीं हो सकता था। मध्यस्थों के निर्णय से निम्नलिखित चर्चा को उद्धृत करना उपयुक्त है:

" 24 ..... दावेदारों की शिकायत कि 30 अप्रैल, 1999 को समाप्त होने वाले ऋण पत्र का नवीनीकरण नहीं करके, प्रत्यर्थियों ने उल्लंघन किया है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। पहली बार में, दावेदार 30 अप्रैल, 1999 को ऋण पत्र के नवीनीकरण के बारे में शिकायत नहीं कर सकते हैं, जब दावेदारों ने स्वयं 19 फरवरी, 1999 के नोटिस द्वारा अनुबंध को समाप्त कर दिया है। दूसरा, दावेदारों ने 13 अप्रैल, 1999 को मध्यस्थता का आह्वान किया है और ये घटनाएं 30 अप्रैल, 1999 से पहले हुई थीं, इसलिए उत्तरदाताओं द्वारा ऋण पत्र का नवीनीकरण करने का कोई मतलब नहीं था।

दावेदारों का लाभ "।

46. उपरोक्त विश्लेषण के अनुसार, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने प्रत्यर्थी संख्या 2 के तर्क को स्वीकार नहीं किया, जो एल. सी. के नवीनीकरण न करने पर आधारित था। हालाँकि, जिन संदर्भ में ये अवलोकन किए गए हैं, वे बहुत स्पष्ट हैं। मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने प्रतिवादी संख्या 2 के विवाद के इर्द-गिर्द घूमती चर्चा को सीमित कर दिया था कि 30.04.1999 के बाद भी एल. सी. क्यों नहीं बढ़ाया गया था। इस रंग में, यह देखा गया कि ऐसा करने का कोई कारण या तर्क नहीं था जब अनुबंध स्वयं समाप्त हो गया था क्योंकि इसे स्वयं प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा समाप्त कर दिया गया था।

6 (देखें-एसोसिएट बिल्डर्स बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण, (2015) 3 एस. सी. सी. 49 और एस.

मुनिशामप्पा बनाम। बी. वेंकटरायप्पा और अन्य। , (1981) 3 एस. सी. सी. 260)

19.02.1999 दिनांकित नोटिस देखें। इसके बाद ऐसा नहीं होगा कि प्रत्यर्थी संख्या 2 अनुबंध को समाप्त करने में गलत था। जहां तक अनुबंध की समाप्ति का संबंध है, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने विशेष रूप से इस मुद्दे पर विचार किया और इसकी स्वतंत्र जांच करने पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रतिवादी संख्या 2 उक्त कार्रवाई में उचित थी क्योंकि अपीलार्थी की ओर से अन्य उल्लंघन थे। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा आरोप लगाया गया एल. सी. का नवीनीकरण न करना एकमात्र उल्लंघन नहीं था, जिसने अपीलार्थी की ओर से उल्लंघन के विभिन्न अन्य कृत्यों का दावा किया था। इस संबंध में, श्री दादा ने हमारा ध्यान, और ठीक ही, दिनांकित 18.11.1998 पत्र की ओर आकर्षित किया, जो समाप्ति पत्र के समकालीन है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 ने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया है।

स्थापित वस्तुओं की चालू रिपोर्ट का निर्माण और अपीलार्थी द्वारा शून्य प्रदर्शन प्रमाण पत्र जारी करने से उत्पन्न वित्तीय नाकाबंदी। इस पत्र का उल्लेख 19.02.1999 के पत्र में दिनांकित 23.12.1998 पत्र में निहित संदर्भों को शामिल करके किया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपने दावे के विवरण में यह भी कहा है कि

विफलता रिपोर्टों के निर्माण जैसे उद्देश्यों की स्थापना के दौरान अपीलार्थी का उत्पीड़न और जानबूझकर उल्लंघन और

कार्यारंभ रिपोर्ट, प्रदर्शन प्रमाणपत्रों में फर्जी कटौती और अपीलार्थी कर्मचारियों की अन्य गलत प्रथाओं द्वारा भुगतान में बाधा डालना। स्थापित वस्तुओं के संबंध में प्रतिवादी संख्या 2 की गंभीर शिकायतों पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा विस्तार से विचार किया गया और स्वीकार किया गया

एक ही।

47. हम इन निष्कर्षों का उल्लेख पहले ही कर चुके हैं। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने जुग्गीलाल कमलापत बनाम में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया। प्रतापमल

रामेश्वर जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी अनुबंध का खंडन

वास्तव में मौजूद किसी भी आधार के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, भले ही पत्राचार में नहीं कहा गया हो। उक्त निर्णय के निम्नलिखित अंश में एक उद्धरण की आवश्यकता है:

" 23. यह भी तर्क दिया गया था कि प्रतिवादी ने वादी के साथ अपने पत्राचार में याचिका नहीं उठाई थी कि दिए गए वितरण आदेश दोषपूर्ण थे, उस पर अनुबंधों की उनकी मांग को उचित ठहराने से हटा दिया गया था। जैसा कि उच्च न्यायालय ने बताया है कि वादी द्वारा बहिष्कार का कोई मामला दायर नहीं किया गया था और इसलिए, यह वादी ही था जिसे बहिष्कार का सवाल उठाने से रोका जाना चाहिए। इसके अलावा,

7 (1978) 1 एस. सी. सी. 69 महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कं. लिमिटेड। वी. एम/एस। दातार स्विचगियर लिमिटेड। [ए. के. सिकरी, जे.]

कानून प्रतिवादी को किसी भी आधार पर अस्वीकृति को उचित ठहराने की अनुमति देता है। जो अस्वीकृति के समय मौजूद था या नहीं

पत्राचार में जमीन बताई गई थी। (नूने को देखें

सिवया बनाम। मद्दू रंगनायकुलु, ए. आई. आर 1935 पी. सी. 67 62 आई. ए.

89,98) . ”

48. इस स्तर पर एक और पहलू पर ध्यान देने की आवश्यकता है जो संयोग से श्री विकास सिंह के समर्पण को देखते हुए उत्पन्न होता है। अपीलार्थी की ओर से उपस्थित वरिष्ठ वकील।

49. यह तर्क दिया गया था कि प्रतिवादी संख्या 2 को स्थापित किया जाना चाहिए था

कम से कम श्रेणी बी-2 के तहत, भले ही श्रेणी बी-1 और बी-3 के लिए स्थानों की आपूर्ति में अपीलार्थी की ओर से उल्लंघन किया गया हो। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील ने इसका खंडन किया।

इस आधार पर कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने विशेष रूप से इस तर्क पर विचार किया था और इसे खारिज कर दिया था और मध्यस्थों के दृष्टिकोण को विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा भी बरकरार रखा गया है। हम यह इंगित कर सकते हैं कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने इस पर विचार किया है।

निम्नलिखित तरीके से:

" दातार से एक विशिष्ट प्रश्न पूछा गया था कि दावेदार कैसे थे

श्रेणी बी-II में अनुबंध वस्तुओं को स्थापित नहीं किया और गवाह का उत्तर चार भागों में था। गवाह ने दावा किया कि (ए) बी-I और बी-III श्रेणियों की दी गई मात्रा को स्थापित करने की वाणिज्यिक प्रभावकारिता पर विचार करते हुए अनुबंध किया गया था ताकि बी-II श्रेणी से कम राजस्व संतुलन का मुकाबला किया जा सके। गवाह ने दावा किया कि चूंकि उत्तरदाताओं ने श्रेणियों बी-I और बी-III की सूची प्रदान नहीं की थी, इसलिए दावेदार श्रेणी बी-II की स्थापना को रोकने के हकदार थे; (बी) बी-II श्रेणी के तहत नासिक में वार्षिक रूप से स्थापित बी-II श्रेणी के तहत नासिक में स्थापित किया गया था जो नासिक सर्कल में अपेक्षाकृत कम अवरोधक था; (सी) श्रेणी के तहत स्थान।

21 दिसंबर, 1998 के पत्र द्वारा एक साथ स्थापित करने के लिए पहले दी गई अनुमति को रद्द कर दिया गया। दिए गए कुछ कारण गवाह द्वारा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अनुचित नहीं कहा जा सकता है। यह नजरअंदाज नहीं

किया जा सकता है कि श्रेणी बी-II के तहत वस्तुओं की स्थापना के संबंध में, [2018] 1 एस. सी. आर.

दावेदार केवल छह साल की अवधि की समाप्ति तक वर्ष 1993 और 1994 के अनुबंध के तहत निर्धारित दरों के हकदार थे, जबकि श्रेणियों बी-I और बी-III के संबंध में पट्टे का किराया था

काफी ऊँचा।

किसी भी स्थिति में, यह आग्रह करना उत्तरदाताओं के मुँह में नहीं है कि दावेदारों को अनुबंध वस्तुओं को स्थापित करना चाहिए था

श्रेणी बी-II के तहत जब 21 दिसंबर, 1998 को केवल श्रेणी बी-II के तहत वस्तुओं को स्थापित करने के लिए विशिष्ट निर्देश दिए गए थे

उत्तरदाताओं ने दावा किया कि 16,477 स्थानों पर उपलब्ध थे 19 फरवरी, 1999 लेकिन यह सही नहीं है क्योंकि श्रेणी बी-II के 10,541 स्थानों को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध है

बी-I और बी-III श्रेणियों में से 5,932 स्थान थे।

50. डिवीजन बेंच ने निम्नलिखित में इस विवाद पर विचार किया:आर:

" अभिलेख पर मौजूद सामग्री से हमारे विचार में, यह बहुत स्पष्ट है कि डीटीसी सूचियों की आपूर्ति कार्य का एक मौलिक शब्द था।

आदेश और एम. एस. ई. बी. इसका पालन करने में बुरी तरह विफल रहे थे कहा मौलिक शब्द और डीटीसी स्थानों की आपूर्ति में एमएसईबी की ओर से एक उल्लंघन था जो अंततः

विदेश से कच्चे माल की खरीद, उपकरणों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करना, इसके लिए व्यवस्था करना इन अनुबंध वस्तुओं को उन स्थानों तक पहुँचाना जहां उक्त उपकरण लगाए जाने थे, प्रशिक्षित, कुशल और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करना, इन उपकरणों के परिवहन के लिए वाहन उपलब्ध कराना।

डी. टी. सी. स्थान के लिए अनुबंध वस्तुएँ जहाँ उन्हें होना था

स्थापना और अंत में, एम. एस. ई. बी. के अधिकारियों के साथ समन्वय करना ताकि अनुबंध वस्तुओं को स्थापित करने के बाद, एम. एस. ई. बी. के अधिकारियों द्वारा स्थापना का प्रमाण पत्र दिया जा सके ताकि उस समय से, पट्टे का किराया डी. एस. एल. को देय हो सके। यह ध्यान में रखना होगा कि कार्य आदेश की प्रकृति ऐसी थी कि यह सुनिश्चित करना डीएसएल के हित में था कि अनुबंध वस्तुओं को स्थापित किया जाए और उस प्रभाव के प्रमाण पत्र एमएसईबी के अधिकारियों से प्राप्त किए जाएं।

यह तर्क देने के लिए ध्वनि नहीं करता है कि Â ARASHTRA STATE ELECTRICITY DISTRIBUST CO... वी. एम/एस। दातार स्विचगियर लिमिटेड। [ए. के. सिकरी, जे.]

लगभग 163 करोड़ रुपये की भारी राशि का निवेश करने के बाद, जैसा कि न्यायाधिकरण ने पुरस्कार में कहा था, डीएसएल वस्तुओं को स्थापित नहीं करेगा क्योंकि वस्तुओं को स्थापित करना उनके हित में था ताकि उनके भारी निवेश पर लाभ उसके बाद शुरू हो सके। इसलिए यह अकल्पनीय है कि हालांकि डीटीसी सूचियां थीं उपलब्ध होने पर, डी. एस. एल. अनुबंध वस्तुओं को स्थापित नहीं करेगा। डी. टी. सी. को दिखाने के लिए एम. एस. ई. बी. द्वारा विभिन्न तथ्य और आंकड़े दिए गए थे।

डीएसएल को स्थानों के बारे में पता था और फिर भी वे अनुबंध वस्तुओं को बिना किसी पदार्थ के स्थापित करने में विफल रहे थे। यह नहीं भुलाया जा सकता है कि, शुरू में, स्थापना का क्रम कोल्हापुर, नासिक और औरंगाबाद था। इस क्रम को बाद में नासिक, कोल्हापुर और औरंगाबाद में बदल दिया गया। इसे फिर से बदल दिया गया और डीएसएल को किसी भी समय किसी भी स्थान पर वस्तुओं को स्थापित करने की अनुमति दी गई और अंत में, इसे फिर से बदल दिया गया और दिशा बदल दी गई।

क्योंकि उन्हें कार्य आदेश में अनुक्रम का पालन करने के लिए कहा गया था यदि बी-I के तहत स्थानों की सूची नहीं दी गई थी, यह मानते हुए भी कि उनके पास उन स्थानों की बी-II सूची थी जो उनके पास नहीं हो सकती थी और वास्तव में उन्हें उक्त बी-II स्थानों पर स्थापित करने की अनुमति नहीं थी। यह रिकॉर्ड में आया है कि 10,000 से अधिक वस्तुओं का निर्माण किया गया था और स्थापना के लिए तैयार किया गया था। डी. एस. एल. उन वस्तुओं को स्थापित करने में विफल रहने का कोई सांसारिक कारण नहीं है जो निरीक्षण किया और स्थापना के लिए तैयार। एकमात्र स्पष्ट कारण यह होगा कि वे विभिन्न कारणों से ऐसा करने में असमर्थ थे।

एम. एस. ई. बी. द्वारा समय-समय पर पारित किए गए आदेश

उन्हें अपने दायित्व का पालन करने से रोकें। एम. एस. ई. बी. ने सूची की आपूर्ति के प्रभारी अपने किसी भी अधीक्षण अभियंता की जांच नहीं की है। सभी का संचयी प्रभाव जो सामग्री अभिलेख पर लाई गई है वह यह है कि यह डी. टी. सी. स्थानों की सूचियों की आपूर्ति में एम. एस. ई. बी. की ओर से विफलता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है जो डी. टी. सी. स्थानों की सूची की आपूर्ति में एम. एस. ई. बी. की विफलता का एक मौलिक शब्द था।

अनुबंध "।

51. हम प्रत्यर्थी संख्या 2 के इस तर्क से सहमत हैं कि ये तथ्यों के निष्कर्ष हैं और इसमें कोई विकृति नहीं है।

हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कार्य क्रम के तहत 12555 बी-2 श्रेणी की वस्तुओं में से 9515 वस्तुओं को कोल्हापुर क्षेत्र में स्थापित किया जाना था, जो उक्त श्रेणी का 76 प्रतिशत है। आई. डी. 1 दिनांकित पत्र के माध्यम से, कोल्हापुर क्षेत्र के मुख्य अभियंता ने प्रत्यर्थी संख्या 2 को पहले नई स्थापना (बी-1 और बी-3) को पूरा करने और उसके बाद ही श्रेणी बी-2 के तहत स्थापना करने का निर्देश दिया। कोल्हापुर से बी-1 और बी-3 के लिए स्थान कभी भी प्रस्तुत नहीं किए गए थे। इसलिए यह विवाद

अपीलार्थी की अस्वीकृति भी वारंट करती है।

52. मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निर्णय की विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पुष्टि की गई है।

न्यायालय, वह भी अपीलार्थी द्वारा उठाए गए प्रत्येक तर्क पर विस्तार से विचार करने के बाद, जो नकारात्मक है, हम मानते हैं कि श्री दादा अपने तर्क में सही हैं कि इसमें कानून का कोई सवाल नहीं है।

और अपीलार्थी का एकमात्र प्रयास मामले पर नए सिरे से बहस करना था, जो अस्वीकार्य था। नुकसान का पुरस्कार:

53. अपीलार्थी के इस तर्क का खंडन करते हुए कि 17294 स्थापित वस्तुओं के संबंध में कोई उल्लंघन नहीं हुआ था और इसलिए, कोई नुकसान नहीं हुआ था

उस ओर से देय, श्री दादा ने बताया कि अपीलार्थी ने स्वयं मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष निम्नानुसार प्रस्तुत किया था:

उचित अवधि के लिए पट्टे पर किराया देने का हकदार होगा रखरखाव की लागत में कटौती करना और प्रिंट आउट निकालना।

उन्होंने यह भी बताया कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलार्थी द्वारा दायर लिखित प्रस्तुतियों में समान प्रस्तुतिकरण पाया जाना चाहिए। पैरा 13. उनके अनुसार, मध्यस्थों ने उक्त निवेदन को स्वीकार कर लिया

अपीलार्थी और अधिनिर्णयित हर्जाना। इसलिए, अपीलार्थी उक्त आधार पर पुरस्कार को चुनौती देने के लिए सार्वजनिक नीति का आह्वान करने का बिल्कुल भी हकदार नहीं है। डिवीजन बेंच द्वारा इस पहलू पर विचार किया गया है

पैरा 73, जिसे पहले ही ऊपर पुनः प्रस्तुत किया जा चुका है।

54. हम प्रत्यर्थी संख्या 2 के विवाद में सार देखते हैं और हमारी राय है कि अपीलार्थी अब पलट नहीं सकता है और उन नुकसानों के अधिनिर्णय पर आपत्ति नहीं उठा सकता है जिन्हें उचित अवधि के लिए पट्टा किराए के संदर्भ में प्रत्यर्थी संख्या 2 को हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए मापा जाता है, जिसके लिए वह अन्यथा हकदार होता।

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी। लिमिटेड। वी. एम/एस। दातार स्विचगियर लिमिटेड। [ए. के. सिकरी, जे.]

55. इसके अलावा, हम यह भी पाते हैं कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने हर्जाना देते समय, भारत संघ और अन्य मामलों में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है। वी. सुगौली शुगर वर्क्स (पी) Ltd.8 जिसमें नुकसान का एक प्रमुख सिद्धांत इस प्रभाव के लिए निर्धारित किया गया था कि घायल पक्ष को उतनी ही अच्छी स्थिति में रखा जाना चाहिए जितना कि पैसा कर सकता है जैसे कि अनुबंध किया गया था। मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा उक्त निर्णय के निम्नलिखित अंश को ध्यान में रखा गया था:

" 22. बाजार दर एक अनुमानित परीक्षा है क्योंकि यह कानून का सामान्य इरादा है कि अनुबंध के उल्लंघन के लिए हर्जाना देने में, शिकायत करने वाले पक्ष को, जहां तक यह पैसे से किया जा सकता है, उसी स्थिति में रखा जाना चाहिए जिसमें वह होता अगर

अनुबंध किया गया था। बाजार मूल्य के बारे में नियम का उद्देश्य केवल खरीदार को क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करना है। बाजार मूल्य इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसे खरीदार के लिए माल का वास्तविक मूल्य माना जाता है। पुरस्कार के लिए सिद्धांतों में से एक

हर्जाना यह है कि जहाँ तक संभव हो, वह जिसने उस चीज़ की आपूर्ति के लिए सौदे का उल्लंघन साबित किया है जिसे पाने के लिए उसने अनुबंध किया है, उसे उस स्थिति में रखा जाना चाहिए जहाँ तक पैसा कर सकता है, जैसे कि अनुबंध किया गया था। इस प्रकार मूल आधार है -

आर्थिक हानि के लिए क्षतिपूर्ति जो स्वाभाविक रूप से उल्लंघन से बहती है। इसलिए, सिद्धांत यह है कि जहाँ तक संभव हो घायल पक्ष को अच्छी स्थिति में रखा जाना चाहिए जैसे कि

अनुबंध किया गया था। दूसरे शब्दों में, यह आर्थिक नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए है जो स्वाभाविक रूप से उल्लंघन से बहती है। उच्च न्यायालय ने इन सिद्धांतों को सही ढंग से लागू किया और अनुबंध मूल्य को तथ्यों और परिस्थितियों में अपनाया। मुआवजे के लिए सही आधार के रूप में मामला "।

56. तत्काल मामले में, उपरोक्त सिद्धांत को लागू करते हुए, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने वर्गीकरण के उद्देश्य से 30 प्रतिशत की कमी पर विचार किया।

स्थापित वस्तुओं के लिए नुकसान की गणना करने के लिए पट्टे का किराया, निर्मित लेकिन अनइंस्टॉल की गई वस्तुओं के लिए नुकसान की गणना करने के लिए पट्टे के किराए में 50 प्रतिशत की कमी और निर्मित नहीं की गई वस्तुओं के लिए कच्चे माल की लागत। कोई लटकता हुआ ब्याज नहीं दिया गया था, हालांकि कार्यवाही साढ़े पांच साल तक चली। इस प्रकार, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने लगभग उतनी ही राशि प्रदान की जितनी परियोजना के लिए प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा निवेश की गई थी। लगभग 21 प्रतिशत की प्रचलित बैंक दर के विपरीत, पुरस्कार की तारीख से केवल 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया गया था। 8 (1976) 3 एससीसी 32 [2018] 1 एस. सी. आर.

उपरोक्त हर्जाना देने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा अपनाया गया एक उचित और प्रशंसनीय उपाय होने के कारण, इसके साथ हस्तक्षेप करने का कोई सवाल ही नहीं है।

57. उल्लेखनीय है कि श्री दादा ने तर्क दिया था कि पट्टा देने की प्रथाओं को ध्यान में रखना मध्यस्थ न्यायाधिकरण का दायित्व है भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 28 (3) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, पुरस्कार देते समय व्यापार। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पट्टे पर UNIDROIT कन्वेंशन के अनुच्छेद 13 (2) की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया था, जो निम्नानुसार निर्धारित करता है:

" जहाँ पट्टेदार का चूक पर्याप्त है, तब इसके अधीन

पैराग्राफ 5 में पट्टेदार को भविष्य के किराए के मूल्य के त्वरित भुगतान की भी आवश्यकता हो सकती है, जहां पट्टा समझौता ऐसा है। पट्टा समझौते को प्रदान करता है, या समाप्त कर सकता है और इसके बाद

समाप्ति:

(ए) उपकरण के कब्जे की वसूली; और

(ख) ऐसी क्षति की वसूली करें जो पट्टेदार को उस स्थिति में रखेगी जिसमें वह होता यदि पट्टेदार ने अपनी शर्तों के अनुसार पट्टा समझौते का प्रदर्शन किया होता।

58. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, हम कानून के प्रस्ताव को स्पष्ट करने में उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण से सहमत हैं कि एक बार यह स्थापित हो जाने के बाद कि पक्षकार को उसके मौलिक उल्लंघन के कारण अनुबंध को समाप्त करने में उचित ठहराया गया था, तो उक्त निर्दोष पक्षकार पूरे अनुबंध के लिए, यानी उस हिस्से के लिए जो निष्पादित किया गया है और अनुबंध के उस हिस्से के लिए भी, जिससे उसे रोका गया था, हर्जाने का दावा करने का हकदार है।

प्रदर्शन करते हैं। हम उपयोगी रूप से सुइस अटलांटिक सोसाइटी डी 'आर्मामेंट एसए वी में निर्धारित निम्नलिखित उक्ति का उल्लेख कर सकते हैं। एन. वी. रॉटरडैम्शे कोलेन सेंट्रल ":

मध्यस्थों को यह पता लगाने के लिए कि प्रत्यर्थियों ने एक मौलिक या अस्वीकार करने वाला उल्लंघन किया था। इस मामले को देखने का एक तरीका यह पूछना होगा कि क्या उल्लंघन करने वाले पक्ष ने अपने उल्लंघन से मौलिक रूप से अलग स्थिति पैदा की है। ऐसा कुछ भी जिस पर पक्षकारों ने एक उचित व्यक्ति के रूप में अनुबंध किए जाने पर विचार किया हो। तब किसी को न केवल यह पूछना होगा कि पहले क्या हो चुका था, बल्कि यह भी पूछना होगा कि क्या हुआ था।

9 9 1966 ए. सी. 361 (पृष्ठ 397-398)

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी। लिमिटेड। वी. एम/एस। दातार स्विचगियर लिमिटेड। [ए. के. सिकरी, जे.]

भविष्य में ऐसा होने की संभावना है। और वहाँ तथ्य यह है कि उल्लंघन

जानबूझकर किया गया बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि मौलिक उल्लंघन स्थापित हो जाता है तो अगला सवाल यह है कि क्या

प्रभाव, यदि कोई हो, जो अन्य शर्तों की प्रयोज्यता पर पड़ता है

अनुबंध। खंडों के संबंध में यह प्रश्न अक्सर उठा है।

उल्लंघन में पार्टी के दायित्व को पूरी तरह या आंशिक रूप से छोड़कर। मैं करता हूँ। यह नहीं सोचते कि आम तौर पर बहुत कठिनाई होती है जहाँ निर्दोष

पार्टी ने उल्लंघन को अस्वीकार के रूप में मानने का फैसला किया है,

अंत तक अनुबंध करें और नुकसान के लिए मुकदमा करें। फिर पूरा अनुबंध

देखें कि उस खंड का उपयोग किसी कार्रवाई को बाहर करने के लिए कैसे किया जा सकता है जो नुकसान निर्दोष पक्ष को उसके बाद उठाना पड़ेगा

अस्तित्व समाप्त हो गया, जैसे कि लाभ का नुकसान जो होगा यदि अनुबंध अपनी पूरी अवधि चला रहा था तो उपार्जित।

(जोर दिया गया)

59. हम, इस प्रकार, जिस तरह से कोई दुर्बलता नहीं पाते हैं

हर्जाना प्रत्यर्थी संख्या 2 के पक्ष में दिया जाता है। आरई: नुकसानों का कारण

60. श्री रफीक दादा ने भी इस तर्क का विरोध किया

हर्जाना कम करने पर अपीलार्थी ने यह निवेदन करते हुए कि इस पहलू पर विशेष रूप से विचार किया गया था और इस ओर से अपीलार्थी के तर्क को न केवल मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा बल्कि उच्च न्यायालय द्वारा भी खारिज कर दिया गया था। उन्होंने पुरस्कार में चर्चा के प्रासंगिक भाग के साथ-साथ निर्णयों का भी उल्लेख किया।

हम पाते हैं कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने इस पहलू पर विचार किया है और

अभिनिर्धारित किया कि अनुबंध वस्तुओं को निम्नलिखित तरीके से बनाया गया था:

" 55. उत्तरदाताओं ने प्रस्तुत किया कि दावेदारों ने नहीं किया

के आदेशों के अनुसरण में निर्मित अनुबंध वस्तुएँ उत्तरदाताओं को कस्टम बनाया गया था यानी निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार

उत्तरदाताओं द्वारा और इन अनुबंध वस्तुओं का निपटान नहीं किया जा सकता है खुले बाजार में। दातार को एक्स के संदर्भ में अपदस्थ कर दिया गया। सी 16 कि

में फंसी अनुबंध वस्तुओं को बेचने के प्रयास किए गए थे

अन्य विद्युत बोर्डों को कारखाने दिए गए लेकिन उन प्रयासों में सफलता नहीं मिली

सफल होते हैं। उत्तरदाताओं द्वारा यह तर्क दिया गया था कि दावेदार [2018] 1 एस. सी. आर.

फंसे हुए अनुबंध वस्तुओं को नष्ट कर देना चाहिए था और उसके घटकों को बेच देना चाहिए था। प्रस्तुतिकरण को केवल अस्वीकार करने के लिए निर्धारित किया जाना आवश्यक है। एक बार जब एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को नष्ट कर दिया जाता है, तो मूल्य लगभग शून्य हो जाता है। किसी भी स्थिति में, दावेदारों ने यह स्थापित किया है कि नुकसान को कम करने के प्रयास किए गए थे।

61. विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने उपरोक्त निष्कर्षों को अपनी प्रमुखता दी है। इसलिए, यह स्पष्ट हो जाता है कि विचाराधीन वस्तुओं का निर्माण किया गया था प्रत्यर्थी संख्या 2 अपीलार्थी की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप क्योंकि उनका उपयोग अन्यथा नहीं किया जा सकता था। इसलिए, प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से नुकसान को कम करने के लिए इसका निपटान करने का प्रयास करने की कोई संभावना नहीं थी।

आरई: राहगीर 62. छूट पर अपीलार्थी के तर्क को भी प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा सफलतापूर्वक पूरा किया जाता है। इस तर्क पर श्री दादा की प्रस्तुति,

यह था कि दोनों पक्ष मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष इस आधार पर मुकदमा चले कि अनुबंध के तहत काम शुरू करने का समय अपीलार्थी द्वारा हस्ताक्षरित 14.07.1997 दिनांकित पत्र के संदर्भ में शुरू हो गया था। मुख्य अभियंता जो अनुबंध के तहत सक्षम प्राधिकारी था। उसी मुख्य अभियंता ने दिनांक 20.04.1998 के पत्र द्वारा जोर देकर कहा कि यदि काम समय पर पूरा नहीं किया गया तो परिसमापन क्षति लगाई जाएगी। हम यह इंगित कर सकते हैं कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने छूट के इस तर्क पर विचार किया और अस्वीकार कर दिया, जैसा कि अपीलार्थी द्वारा निम्नलिखित शब्दों में स्थापित किया गया है:

" 18 ..... तब यह तर्क दिया गया कि दावेदारों ने उत्तरदाताओं से स्थानों की सूची प्राप्त करने के अधिकार को माफ कर दिया था। कार्य आदेश के खंड 5.1 के संदर्भ में, यह प्रस्तुत किया गया था कि दावेदारों को (ए) कार्य आदेश की तारीख से चार महीने के भीतर स्थापना शुरू करनी थी; (बी) क्रेडिट पत्र खोलना और (सी) स्थानों की पूरी सूची की प्राप्ति पर, जो भी बाद में हो। यह तर्क दिया गया था कि दावेदारों को स्थापना के लिए सभी सूचियों की आपूर्ति होने तक प्रतीक्षा करने का अधिकार था, लेकिन चूंकि दावेदारों ने स्थापना शुरू कर दी थी, भले ही पूरी सूचियों की आपूर्ति नहीं की गई थी, यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि दावेदारों ने अपने अधिकार को माफ कर दिया है। समर्पण निराशाजनक और पूरी तरह से अनुचित है। उत्तरदाता ऊर्जा के नुकसान के कारण हुई बड़ी राशि को बचाने के उद्देश्य से 20 महीने की अवधि के भीतर स्थापना को पूरा करने की जल्दी में थे।

केवल इसलिए कि दावेदार महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी। लिमिटेड। वी. एम/एस। दातार स्विचगियर लिमिटेड। [ए. के. सिकरी, जे.]

उचित तरीके से कार्य किया और अनुबंध की शर्तों पर जोर नहीं दिया, यह सुझाव देना बेतुका है कि दावेदारों ने स्थानों की सूचियों की आपूर्ति न होने के बारे में शिकायत करने के अपने अधिकार को माफ कर दिया। इसके बाद यह प्रस्तुत किया गया कि दावेदारों ने मौखिक निर्देशों और उत्तरदाताओं के कुछ अधिकारियों द्वारा जारी किए गए चीट के आधार पर अनुबंध वस्तुओं को स्थापित किया था और यह कार्य आदेश की शर्तों के विपरीत था जिसमें प्रावधान किया गया था कि स्थापना केवल उन स्थानों पर होनी चाहिए, जिनकी सूचियां कार्य आदेश के अनुबंध 'ई' में दिए गए प्रारूप के अनुसार दी गई हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया कि जलगांव, धुले और औरंगाबाद में 155 स्थानों पर दावेदारों को सूची प्राप्त हुई थी। ऐसे अधिकारी जो ऐसी
सूचियाँ जारी करने के लिए सक्षम नहीं थे। प्रस्तुतिकरण में कोई योग्यता नहीं है क्योंकि इतनी बड़ी परियोजना शुरू करते समय, पक्ष अनुबंध के प्रत्येक कार्यकाल और शर्त का सख्ती से पालन करने के लिए उत्सुक नहीं थे। इस तरह के एक उदाहरण ने अनुबंध को तुरंत विफल कर दिया होगा क्योंकि अनुबंध को एक बड़े क्षेत्र में और बड़ी संख्या में लोगों की बातचीत के साथ किया जाना था। ये कारक यह स्थापित नहीं कर सकते हैं कि दावेदारों ने विफलता के बारे में शिकायत करने के अपने अधिकार को छोड़ दिया है।

स्थानों की सूची प्रदान करने के लिए "।

63. अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री विकास सिंह ने अपने तर्क के समर्थन में विभिन्न निर्णयों का उल्लेख किया और उन पर भरोसा किया। ये निर्णय मध्यस्थों द्वारा पारित पुरस्कारों में हस्तक्षेप की गुंजाइश से संबंधित हैं। इन निर्णयों से निपटना भी आवश्यक नहीं है क्योंकि इस मामले के तथ्यों पर, जैसा कि ऊपर विस्तार से चर्चा की गई है, कोई भी निर्णय आकर्षित नहीं होता है। इसी तरह, अपीलार्थी की ओर से पहले दौर में उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले पर भरोसा करने का प्रयास व्यर्थ है क्योंकि इसे खंड पीठ द्वारा दरकिनार कर दिया गया था और मामले को नए सिरे से निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश को वापस भेज दिया गया था।

आरई: चैंबर समन्स पर आदेश

64. डिवीजन बेंच के समक्ष इस अपील के लंबित रहने के दौरान अपीलार्थी द्वारा तीन कक्ष समन निकाले गए थे। इन कक्ष समनों द्वारा, अपीलार्थी ने उस याचिका में संशोधन करने का इरादा किया जो उसके द्वारा अधिनियम की धारा 34 के साथ-साथ अपील के तहत दायर की गई थी। उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले में विस्तृत चर्चा के बाद खारिज कर दिया ये समन। हम पाते हैं कि जिस संशोधन की मांग की गई थी, वह बहुत विलंबित था। अधिनियम की धारा 34 के तहत दायर मध्यस्थता याचिका को [2018] 1 एस. सी. आर. बनाने की मांग की गई थी।

आठ साल की देरी के बाद संशोधन किया गया। इसके अलावा, अपील में संशोधन, उन आधारों को लेते हुए जिन पर मध्यस्थता में संशोधन किया गया है।

साढ़े तीन साल की देरी के बाद याचिका मांगी गई थी। इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने इन समनों को सही ढंग से खारिज कर दिया और इन पहलुओं पर कोई विस्तृत चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है।

65. अंतिम विश्लेषण में, अपीलार्थी द्वारा उठाए गए किसी भी तर्क में कोई योग्यता नहीं पाए जाने पर, अपील को लागत के साथ खारिज कर दिया जाता है।

याचि

का खारिज कर दी गई।

दिव्या पांडे